



सरकारी गजट, उत्तरांचल

उत्तरांचल सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग-1, खण्ड (क)

(उत्तरांचल अधिनियम)

देहरादून, मंगलवार, 27 मई, 2003 ई0

ज्येष्ठ 06, 1925 शक सम्बत्

उत्तरांचल शासन

विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग

संख्या 176/विधायी एवं संसदीय कार्य/2003

देहरादून, 27 मई, 2003

अधिसूचना

विविध

“भारत का संविधान” के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने उत्तरांचल विधान सभा द्वारा पारित उत्तरांचल मोटरयान कराधान सुधार विधेयक, 2003 पर दिनांक 16 अप्रैल, 2003 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तरांचल अधिनियम संख्या 12, सन् 2003 के रूप में सर्व-साधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तरांचल मोटरयान कराधान सुधार अधिनियम, 2003

(उत्तरांचल अधिनियम सं0 12, वर्ष 2003)

राज्य में मोटरयानों पर आरोपित करों में सुधार करने के लिए

भारत गणराज्य के चौवनवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :-

अधिनियम

1. (1) यह अधिनियम उत्तरांचल मोटरयान कराधान सुधार अधिनियम, 2003 कहा जायेगा।

संक्षिप्त नाम,
विस्तार और
प्रारम्भ

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण उत्तरांचल में होगा।

(3) यह ऐसे दिनांक को प्रवृत्त होगा जो राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा इस निमित्त नियत करे और विभिन्न उपबंधों के लिये विभिन्न दिनांक नियत किये जा सकते हैं।

परिभाषाएं

2. इस अधिनियम में :-

(क) "अतिरिक्त कर" का तात्पर्य धारा 4 के अधीन आरोपित कर के अतिरिक्त, धारा 5 या धारा 6 के अधीन आरोपित कर से है;

(ख) "अपील प्राधिकारी" का तात्पर्य परिवहन आयुक्त, उत्तरांचल या राज्य सरकार द्वारा अपील प्राधिकारी के रूप में नियुक्त किसी अन्य अधिकारी से है;

(ग) "रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र" का तात्पर्य सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किये गये इस आशय के प्रमाण-पत्र से है कि मोटरयान को मोटरयान अधिनियम, 1988, या मोटरयानों के रजिस्ट्रीकरण के संबंध में तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि, के उपबंधों के अनुसार सम्यक् रूप से रजिस्ट्रीकृत कर दिया गया है;

(घ) "माल वाहन" का तात्पर्य किसी ऐसे मोटरयान से है जो माल ढोने के लिये पूर्णतः या अंशतः उपयोग में लाये जाने के लिये निर्मित या अनुकूलित हो या ऐसे किसी मोटरयान से है जो इस प्रकार निर्मित या अनुकूलित न हो कि वह केवल माल ढोने या यात्रियों के साथ-साथ माल ढोने के लिये उपयोग में लाया जाय और इसके अन्तर्गत ट्रेलर भी है किन्तु इसके अन्तर्गत कोई मोटर टैक्सी या बड़ी टैक्सी, या कोई ठेका गाड़ी या कोई मंजिली गाड़ी नहीं है जब ऐसी ठेका गाड़ी या मंजिली गाड़ी परिसीमित मात्रा में ढोने के लिये प्राधिकृत हो;

(ङ) "परिसीमित मात्रा का भार" का तात्पर्य परिवहन आयुक्त, उत्तरांचल द्वारा अवधारित सीमा से अनधिक भार के ऐसे परिमाण से है जैसा रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी किसी यान के संबंध में रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र में विनिर्दिष्ट करें;

(च) "पुराना मोटरयान" का तात्पर्य परिवहन यान से भिन्न ऐसे मोटरयान से है जो मोटरयान अधिनियम, 1939 के उपबंधों के अधीन 5 फरवरी, 1988 के पूर्व रजिस्ट्रीकृत हो;

(छ) किसी परिवहन यान के संबंध में "संचालक" का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जिसका नाम परमिट में या पूर्ववर्ती उत्तर प्रदेश मोटर गाड़ी (विशेष उपबंध) अधिनियम, 1976 (यथा उत्तरांचल में लागू) के अधीन जारी किये गये किसी प्राधिकार प्रमाण-पत्र में हो, और जब ऐसा न हो, वहां उसका तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जिसका नाम ऐसे यान के संबंध में रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र में दर्ज हो, और जहां परिवहन यान किसी अवक्रय करार के अधीन हो वहां उसका तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जिसका उस यान पर करार के अधीन कब्जा हो, और जहां ऐसा व्यक्ति अवयस्क हो वहां उसका तात्पर्य ऐसे अवयस्क के संरक्षक से है;

(ज) किसी मोटरयान के संबंध में "स्वामी" का तात्पर्य उस व्यक्ति से है जिसका नाम ऐसे यान के संबंध में जारी किये गये रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र में दर्ज हो और जहां ऐसा यान किसी अवक्रय करार या पट्टे या आडमान के अधीन हो वहां उसका तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जिसका यान पर उस करार के अधीन कब्जा हो और जहां ऐसा व्यक्ति अवयस्क हो वहां उसका तात्पर्य ऐसे अवयस्क के संरक्षक से है;

(झ) किसी सार्वजनिक सेवा यान के संबंध में "यात्री" का तात्पर्य किसी सार्वजनिक सेवा यान में यात्रा करने वाले किसी व्यक्ति से है, किन्तु इसके अन्तर्गत सार्वजनिक सेवा यान से संसक्त अपने कर्तव्यों के सद्भावपूर्ण निर्वहन में यात्रा करने वाले सार्वजनिक सेवा यान के संचालक, ड्राइवर, कण्डक्टर या संचालक का कोई कर्मचारी नहीं आता है;

(ज) "तिमाही" का तात्पर्य तीन कलेण्डर मास की ऐसी अवधि से है जो मार्च, जून, सितम्बर या दिसम्बर के अन्तिम दिन को समाप्त होती है;

(ट) "सम्भाग" का तात्पर्य मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 68 की उपधारा (1) के अधीन सम्भाग के रूप में विनिर्दिष्ट क्षेत्र से है और इसके अन्तर्गत कोई उप सम्भाग भी है, जो राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर विनिर्दिष्ट किया जाये;

(ठ) "कर" का तात्पर्य धारा 4 के अधीन उद्गृहीत किसी कर से है;

(ड) "कराधान अधिकारी" का तात्पर्य राज्य सरकार द्वारा इस रूप में नियुक्त किसी अधिकारी से है और इसके अन्तर्गत कोई ऐसा अन्य अधिकारी भी है जिसे राज्य सरकार के किसी सामान्य या विशेष आदेश द्वारा कराधान अधिकारी की सभी या कोई शक्ति प्रदान की जाये;

(ढ) "परिवहन यान" का तात्पर्य किसी माल वाहन या सार्वजनिक सेवा यान से है;

(ण) इस अधिनियम में प्रयुक्त किन्तु अपरिभाषित और मोटरयान अधिनियम, 1988 में परिभाषित शब्दों और पदों के वही अर्थ होंगे जो उक्त अधिनियम में क्रमशः उनके लिये दिये गये हैं।

3. (1) राज्य सरकार नियम या अधिसूचित आदेश द्वारा, ऐसी शर्तों के अधीन रखते हुए और ऐसी अवधि के लिये जैसी विनिर्दिष्ट की जाये किसी शैक्षिक, चैकित्सिक, परोपकारी या अन्य लोक प्रयोजन को अग्रसर करने में चलने वाले किसी मोटरयान या मोटरयानों के किसी वर्ग को पूर्णतः या अंशतः निम्नलिखित से छूट दे सकती है :-

छूट देने की शक्ति

(क) इस अधिनियम या इसके किसी उपबंध के प्रवर्तन से; या

(ख) इस अधिनियम के अधीन किसी कर के भुगतान से।

(2) उपधारा (1) के अधीन दी गयी छूट या छूट के लिये आरोपित शर्त भूतलक्षी दिनांक से जो वित्तीय वर्ष के प्रारम्भ के दिनांक से पहले का न हो, प्रभावी की जा सकती है।

(3) राज्य सरकार इसी तरह उपधारा (1) के अधीन दी गयी कोई छूट वापस ले सकती है किन्तु ऐसी छूट की वापसी भूतलक्षी प्रभाव से प्रवर्तित नहीं होगी।

4. (1) इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन बनाये गये नियमों द्वारा यथा अन्यथा उपबंधित के सिवाय, परिवहन यान से भिन्न किसी मोटरयान का उपयोग उत्तरांचल में किसी सार्वजनिक स्थान पर नहीं किया जायेगा जब तक कि ऐसे मोटरयान के संबंध में लागू दर पर एक बार देय कर का, जैसा कि प्रथम अनुसूची के भाग "ख" में विनिर्दिष्ट है, भुगतान न कर दिया गया हो:

कर का आरोपण

परन्तु जहां किसी ऐसे मोटरयान के सम्बन्ध में एक बार देय कर का भुगतान उ0प्र0 मोटरयान करधान (संशोधन) अधिनियम, 2000 (यथा उत्तरांचल में लागू) के प्रारम्भ होने के पूर्व किया जा चुका है और धारा 12 की उपधारा 5 के अधीन ऐसे कर की वापसी नहीं की गयी हो, वहां ऐसे प्रारम्भ के पश्चात् उसके सम्बन्ध में इस उपधारा के अधीन कोई कर देय नहीं होगा:

परन्तु यह और कि किसी पुराने मोटरयान के संबंध में, एक बार देय कर का भुगतान करने के बजाय ऐसे मोटरयान पर लागू दर पर वार्षिक कर, जैसा कि प्रथम अनुसूची के भाग "ग" में विनिर्दिष्ट है, भुगतान किया जा सकता है।

(2) इस अधिनियम द्वारा या इसके अधीन यथा अन्यथा उपबंधित के सिवाय किसी परिवहन यान का उपयोग उत्तरांचल में किसी सार्वजनिक स्थान पर नहीं किया जायेगा, जब तक कि ऐसे मोटरयान के संबंध में लागू दर पर कर का, जैसा कि प्रथम अनुसूची के भाग "घ" में विनिर्दिष्ट है, भुगतान न कर दिया गया हो।

(3) जहां परिवहन यान से भिन्न कोई मोटरयान जिसके संबंध में एक बार देय कर का भुगतान कर दिया गया हो, परिवहन यान के रूप में चलाया जाय वहां ऐसे परिवहन यान पर इस अधिनियम के अधीन देय कर देय होगा।

(4) राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा, प्रथम अनुसूची के भाग-ख, भाग-ग या भाग-घ में विनिर्दिष्ट कर की दरों में वृद्धि, जो पचास प्रतिशत से अधिक नहीं होगी, कर सकती है।

माल वाहनों पर
अतिरिक्त कर

5. (1) इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन यथा अन्यथा उपबंधित के सिवाय, कोई माल वाहन उत्तरांचल में किसी सार्वजनिक स्थान पर नहीं चलाया जायेगा जब तक कि उसके संबंध में, धारा 4 के अधीन देय कर के अतिरिक्त, यथास्थिति—

(क) उत्तरांचल के भीतर अधिकारिता युक्त, प्राधिकारियों द्वारा स्वीकृत परमिटों के अधीन चलाये जाने वाले माल वाहन के मामले में, तृतीय अनुसूची; या

(ख) मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 88 की उपधारा (12) के अधीन स्वीकृत राष्ट्रीय परमिट के अधीन संचालित माल वाहन के मामले में, तृतीय अनुसूची के भाग "ख";

(ग) उत्तरांचल में अंशतः पड़ने वाले अन्तर्राज्यीय मार्ग के लिये उत्तरांचल के बाहर अधिकारितायुक्त प्राधिकारियों द्वारा स्वीकृत परमिटों के अधीन चलाये जाने वाले माल वाहन के मामले में, छठी अनुसूची में विनिर्दिष्ट ऐसे माल वाहन के संबंध में लागू दर पर अतिरिक्त कर का भुगतान न कर दिया गया हो:

परन्तु राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, उक्त अनुसूचियों में विनिर्दिष्ट अतिरिक्त कर की दरों में वृद्धि, जो पचास प्रतिशत से अधिक नहीं होगी, कर सकती है।

(2) जहां सड़क द्वारा ले जाये जाने वाले माल के कराधान से संबंधित कोई पारस्परिक करार उत्तरांचल सरकार और किसी अन्य राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र के मध्य किया जाय, वहां उपधारा (1) के अधीन अतिरिक्त कर का उदग्रहण, उक्त उपधारा में किसी बात के होते हुए भी, ऐसे करार के निबंधनों और शर्तों के अनुसार होगा:

परन्तु इस प्रकार उदगृहीत अतिरिक्त कर, उस अतिरिक्त कर से अधिक नहीं होगा जो इस अधिनियम के अधीन अन्यथा उदगृहीत होता।

सार्वजनिक
सेवा यान पर
अतिरिक्त कर

6. (1) इस अधिनियम या उसके अधीन बनाये गये नियमों में यथा अन्यथा उपबंधित के सिवाय, राज्य परिवहन उपक्रम के स्वामित्वाधीन या नियंत्रणाधीन से भिन्न कोई सार्वजनिक सेवा यान के अधीन धारा 4 के अन्तर्गत देय कर के अतिरिक्त चतुर्थ अनुसूची में विनिर्दिष्ट ऐसे सार्वजनिक सेवा यान के संबंध में लागू दर पर अतिरिक्त कर का भुगतान न कर दिया गया हो, सार्वजनिक मार्गों पर संचालित नहीं किया जायेगा:

परन्तु राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट कर की दरों में वृद्धि, जो पचास प्रतिशत से अधिक नहीं होगी, कर सकती है।

(2) उत्तरांचल राज्य के परिवहन उपक्रम के स्वामित्वाधीन या नियंत्रणाधीन किसी सार्वजनिक सेवा यान के संबंध में अतिरिक्त कर उदग्रहण और भुगतान पांचवीं अनुसूची में विनिर्दिष्ट फार्मूले के अनुसार किया जायेगा।

(3) उत्तरांचल में अंशतः पड़ने वाले अन्तर्राज्यीय मार्ग के लिये उत्तरांचल के बाहर अधिकारितायुक्त प्राधिकारियों द्वारा स्वीकृत परमिटों के अधीन चलाये जाने वाले सार्वजनिक सेवा यान के मामले में, छठी अनुसूची में विनिर्दिष्ट ऐसे सार्वजनिक सेवा यान के संबंध में लागू दर पर अतिरिक्त कर का भुगतान न कर दिया गया हो,

परन्तु राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, उक्त अनुसूचियों में विनिर्दिष्ट अतिरिक्त कर की दरों में वृद्धि, जो पचास प्रतिशत से अधिक नहीं होगी, कर सकती है।

(4) जहां सार्वजनिक सेवा यान के कराधान से संबंधित कोई पारस्परिक करार उत्तरांचल सरकार और किसी अन्य राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र के मध्य किया जाय, वहां उपधारा (3) के अधीन अतिरिक्त कर का उदग्रहण, उक्त उपधारा में किसी बात के होते हुए भी, ऐसे करार के निबंधनों और शर्तों के अनुसार होगा:

परन्तु इस प्रकार उदग्रहीत अतिरिक्त कर उस अतिरिक्त कर से अधिक नहीं होगा, जो इस अधिनियम के अधीन अन्यथा उदग्रहीत होता।

(5) जहां किसी सार्वजनिक सेवा यान को इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन अतिरिक्त कर के भुगतान से पूर्णतः या अंशतः छूट दी गयी हो, वहां धारा 8 के अधीन स्थापित निधि के प्रयोजन के लिये उसके संचालक पर उस अतिरिक्त कर के, जो ऐसे यान पर देय होता यदि उसे इस प्रकार की छूट न दी गई होती, पांच प्रतिशत की दर से अधिभार का उदग्रहण किया जायेगा और ऐसी धनराशि उक्त निधि में जमा की जायेगी।

7. प्रथम अनुसूची के अधीन परिवहन यानों के संबंध में देय कर की धनराशि का अवधारण करने के प्रयोजनों के लिए या चतुर्थ अनुसूची के अधीन देय अतिरिक्त कर का अवधारण करने के लिए उत्तरांचल में समस्त मार्गों का वर्गीकरण ऐसी रीति से, जैसी विहित की जाय, विहित प्राधिकारी द्वारा "क-वर्ग" के मार्गों या "ख-वर्ग" के मार्गों के रूप में किया जायेगा।

कर या
अतिरिक्त कर
का अवधारण
करने के लिए
मार्गों का
वर्गीकरण

8. (1) किसी सार्वजनिक सेवा यान के दुर्घटना में अन्तर्ग्रस्त होने से पीड़ित यात्रियों या अन्य व्यक्तियों को या ऐसे यात्रियों या अन्य व्यक्तियों के उत्तराधिकारियों को राहत देने के प्रयोजनार्थ, राज्य सरकार एक निधि स्थापित करेगी जो "उत्तरांचल सड़क परिवहन दुर्घटना राहत निधि" कही जायेगी। धारा 6 की उपधारा (3) के अधीन उदग्रहीत अधिभार, और धारा 6 की उपधारा (1) और (2) के अधीन उदग्रहीत अतिरिक्त कर के इक्कीसवें भाग के समतुल्य धनराशि, उक्त निधि में जमा की जायेगी।

दुर्घटना राहत
निधि

(2) उपधारा (1) के अधीन स्थापित निधि का प्रशासन और उपयोग ऐसी रीति से किया जायेगा, जैसा विहित किया जाय।

9. (1) धारा 11 के उपबंधों के अधीन रहते हुए

(एक) धारा 4 की उपधारा (1) के अधीन देय कर का भुगतान मोटरयान अधिनियम, 1988 के अधीन यान के रजिस्ट्रीकरण के समय किया जायेगा।

कर और शास्ति
का भुगतान

परन्तु किसी पुराने मोटरयान के संबंध में कर प्रत्येक वर्ष जनवरी के पन्द्रहवें दिन को या उसके पूर्व अग्रिम रूप में देय होगा;

(दो) धारा 4 की उपधारा (2) के अधीन देय कर मोटरयान अधिनियम, 1988 के अधीन यान के रजिस्ट्रीकरण के समय प्रत्येक तिमाही के लिये और तत्पश्चात् प्रत्येक वर्ष जनवरी, अप्रैल, जुलाई, और अक्टूबर के पन्द्रहवें दिन का या उसके पूर्व अग्रिम रूप में देय होगा;

(तीन) धारा 5 की उपधारा (1) के खंड (क) के अधीन देय अतिरिक्त कर प्रत्येक वर्ष जनवरी, अप्रैल, जुलाई और अक्टूबर के पन्द्रहवें दिन का या उसके पूर्व अग्रिम रूप देय होगा;

(चार) (क) धारा 6 के अधीन देय अतिरिक्त कर (उस मामले से भिन्न जिस पर उपखंड (ख) लगा होता है) चतुर्थ अनुसूची में विनिर्दिष्ट दर की एक-तिहाई दर से प्रत्येक कलेण्डर माह के पन्द्रहवें दिन का या उसके पूर्व अग्रिम रूप में देय होगा;

(ख) मेला और धार्मिक सभाओं जैसे विशेष अवसरों पर यात्रियों को वहां ले जाने और वहां से लाने, या बारात, पर्यटक पार्टी या ऐसी अन्य रिजर्व पार्टी की सवारी के लिये जारी किये जाने वाले अस्थायी परमिट के अन्तर्गत आने वाले यानों के संबंध में धारा 6 के अधीन देय अतिरिक्त कर का भुगतान ऐसे अस्थायी परमिट के जारी किये जाने के समय किया जायेगा।

(2) जब कोई व्यक्ति अपने नाम से रजिस्ट्रीकृत किसी मोटरयान को किसी अन्य व्यक्ति को अन्तरित करता है, तब इस संबंध में अन्तरक के दायित्व पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, अन्तरिती मोटरयान के अन्तरण के दिनांक को या उसके पूर्व इस प्रकार अन्तरित मोटरयान के संबंध में देय कर या अतिरिक्त कर और शास्ति, यदि कोई हो, के बकाये का इस प्रकार देनदार होगा, मानो अन्तरिती उस अवधि के दौरान जिसके लिए ऐसा कर, अतिरिक्त कर या शास्ति देय हो, उक्त मोटरयान का स्वामी था।

(3) जहां किसी मोटरयान के संबंध में कर या अतिरिक्त कर का भुगतान उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर न किया जाय, वहां देय कर या अतिरिक्त कर के अतिरिक्त देय धनराशि के पच्चीस प्रतिशत से अनधिक ऐसी दर पर जैसी विहित की जाय, शास्ति देय होगी जिसके लिये स्वामी और संचालक, यदि कोई हो, संयुक्त रूप से और पृथक-पृथक देनदार होंगे।

(4) इस अधिनियम के अधीन कर, अतिरिक्त कर या शास्ति की धनराशि की संगणना करने में, धनराशि को निकटतम रुपये तक पूर्णांकित किया जायेगा, अर्थात् एक रुपये के भाग को जो पचास पैसे या उससे अधिक हो, अगले उच्चतर रुपये तक पूर्णांकित किया जायेगा और पचास पैसे से कम किसी भाग को छोड़ दिया जायेगा।

कर भुगतान
किये बिना
उत्तरांचल में
यानों का
उपयोग नहीं
किया जायेगा

10. (1) धारा 9 में किसी बात के होते हुए भी—

(क) किसी ऐसे प्राधिकारी द्वारा जिसकी अधिकारिता उत्तरांचल से बाहर हो, मोटरयान अधिनियम, 1988 के अधीन दिये गये अस्थायी/स्थायी परमिट के अधीन कोई परिवहन यान उत्तरांचल में नहीं चलाया जायेगा, जब तक कि उसके सम्बन्ध में—

(एक) उत्तरांचल में उसके उपयोग या ठहरने के सप्ताहों के लिए, धारा 4 के अधीन कर का, जिसकी गणना प्रथम अनुसूची में विनिर्दिष्ट समुचित दर से और उपधारा (2) में दी गई रीति से की जायेगी, भुगतान न कर दिया गया हो;

(दो) यथास्थिति भार वाहन की दशा में धारा 5 या ठेका वाहन की दशा में धारा 6 के अधीन अतिरिक्त कर का भुगतान न कर दिया गया हो;

(तीन) अन्तर्राज्यीय यात्री मार्गों पर दो राज्यों के करार अनुसार अनुमत मंजिली परमिट के वाहन की दशा में धारा 6 के अनुसार उत्तरांचल राज्य में वाहन का अतिरिक्त कर न जमा कराया जा रहा हो।

(ख) किसी ऐसे प्राधिकारी द्वारा जिसकी अधिकारिता उत्तरांचल के बाहर हो, उक्त अधिनियम की धारा 88 की उपधारा 12 के अधीन दिये गये किसी राष्ट्रीय परमिट के अधीन कोई माल वाहन उत्तरांचल में नहीं चलायेगा जब तक कि उसके सम्बन्ध में धारा 5 के अधीन अतिरिक्त कर का जिसकी गणना तृतीय अनुसूची के खण्ड-ख में विनिर्दिष्ट दर से की जाएगी, भुगतान विहित रीति से न कर दिया गया हो।

(ग) किसी ऐसे प्राधिकारी द्वारा जिसकी अधिकारिता उत्तरांचल के बाहर हो, मोटर व्हीकल्स (ऑल इण्डिया परमिट फॉर टूरिस्ट ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर्स) रूल्स, 1993 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 88 की उपधारा 9 के अधीन दिये गये परमिट के अधीन कोई सार्वजनिक सेवा यान उत्तरांचल राज्य में नहीं चलाया जाएगा जब तक कि उसके सम्बन्ध में धारा 6 के अधीन अतिरिक्त कर का भुगतान विहित रीति से चतुर्थ अनुसूची के प्रस्तर-दो के उपखण्ड (ख) में विनिर्दिष्ट दर से न कर दिया गया हो:

परन्तु राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, उक्त अनुसूचियों में विनिर्दिष्ट अतिरिक्त कर की दरों में वृद्धि, जो पचास प्रतिशत से अधिक नहीं होगी, कर सकती है।

(2) उपधारा (1) के खण्ड (क) के उपखण्ड (एक) के अधीन कर के उदग्रहण और भुगतान के प्रयोजनों के लिए, किन्हीं दो सप्ताह या उसके भाग के लिए देय कर प्रथम अनुसूची में विनिर्दिष्ट कर का 2/13 वां भाग होगा।

(3) अन्य राज्यों से प्राप्त अस्थायी/स्थायी परमिटों से आच्छादित वाहनों को उत्तरांचल राज्य में बिना देय कर व अतिरिक्त कर के संचालित पाये जाने की दशा में प्रत्येक देय कर व अतिरिक्त कर के साथ इनकी राशि के दो गुना के बराबर शास्ति देय होगी।

(4) बिना परमिट उत्तरांचल में प्रवेश कर संचालित पाये जाने वाले ऐसे वाहनों पर कर (मार्गकर) निम्नलिखित दर पर वसूला जायेगा, जो निम्नवत् होगा—

(एक) मोटर कैब	रुपये—600.00
(दो) मैक्सी कैब	रुपये—750.00
(तीन) ओमनी बस	रुपये—3000.00
(चार) भार वाहन	रुपये—3000.00

तथा,

ऐसे वाहनों से अतिरिक्त कर की मासिक दर निम्नवत् होगी, जिसके साथ 25 प्रतिशत शास्ति देय होगी (अतिरिक्त कर के अलावा)

(एक) मोटर कैब—	धारा 28(9) के अन्तर्गत का दो गुना।
(दो) मैक्सी कैब—	धारा 88(9) के अन्तर्गत का दो गुना।
(तीन) ओमनी बस—	धारा 88(9) के अन्तर्गत का दो गुना।
(चार) भार वाहन—	देय मासिक अतिरिक्त कर का दो गुना लेकिन न्यूनतम रु0 2000.00।

(5) निजी वाहन एवं प्राइवेट सर्विस वाहनों के व्यवसायिक वाहनों के रूप में संचालित पाये जाने पर इन वाहनों पर देय कर/अतिरिक्त कर (प्रत्येक बार पकड़े जाने पर) —

क्रम संख्या	अनधिकृत संचालन का स्वरूप	देय मार्गकर (रुपये में)	देय अतिरिक्त कर (रुपये में)
1.	टैक्सी/मोटर कैब के रूप में	1500.00	2000.00
2.	मैक्सी कैब के रूप में	2000.00	4000.00
3.	प्राइवेट सर्विस वाहन में किराये की सवारी ले जाते पाये जाने पर	3000.00	8000.00
4.	ट्रैक्टर (ट्रेलर संलग्न)	2000.00	4000.00

11. जब किसी परिवहन यान के संबंध में कर या अतिरिक्त कर किसी तिमाही के प्रारम्भ के पश्चात प्रथम बार देय हो, तब यथास्थिति, धारा 4 या धारा 5 या धारा 6 के अधीन देय कर या अतिरिक्त कर प्रत्येक कलेण्डर मास या उसके भाग के लिए जिसके संबंध में कर या अतिरिक्त कर देय हो, समुचित तिमाही कर का एक तिहाई होगा।

12. (1) जब कोई व्यक्ति जिसने किसी परिवहन यान के संबंध में कर का भुगतान कर दिया है, कराधान अधिकारी के संतोषानुसार विहित रीति से यह सिद्ध कर दे कि मोटरयान का, जिसके संबंध में ऐसे कर का भुगतान कर दिया गया है, अन्तिम बार कर का भुगतान करने के समय से एक मास या उससे अधिक की लगातार अवधि में उपयोग नहीं किया गया है तो वह उतनी धनराशि के वापसी का हकदार होगा जितनी वह ऐसे यान के संबंध में ऐसी अवधि के प्रत्येक (तीस दिन) के लिए जिसके लिये भुगतान किया गया हो, देय तिमाही कर की दर के एक तिहाई के बराबर हो;

परन्तु ऐसी वापसी तब तक अनुमन्य नहीं होगी जब तक कि ऐसा व्यक्ति, उस अवधि के पूर्व जिसके लिए ऐसी वापसी का दावा किया गया हो, कराधान अधिकारी के पास यान के संबंध में जारी किया गया रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र, टोकन यदि कोई हो और परमिट अम्यर्पित न कर दे।

प्रथम कर के दायित्व पर देय धनराशि

यान का अनुपयोग और कर का वापस करना (धारा 4, 5 व 6 में समान रूप से प्रभावी)

(2) जहां किसी मोटरयान का, यथास्थिति संचालक या स्वामी एक मास या उससे अधिक की अवधि के लिये अपने यान का उपयोग नहीं करना चाहता है वहां वह यथास्थिति, कर का अतिरिक्त कर के देय दिनांक के पूर्व उस सम्भाग के कराधान अधिकारी के पास जहां कर या अतिरिक्त कर का अन्तिम बार भुगतान किया गया हो, मोटरयान के संबंध में जारी किया गया रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र, टोकन, यदि कोई हो और परमिट यदि कोई हो, अभ्यर्पित करेगा और ऐसे अभ्यर्पण पर ऐसे यान के संबंध में प्रत्येक पूर्ण कलेण्डर मास की उस अवधि के लिये जिसके दौरान यान उपयोग में न रहे और उपर्युक्त दस्तावेज कराधान अधिकारी के पास अभ्यर्पित रहे, इस अधिनियम के अधीन कोई कर या अतिरिक्त कर देय नहीं होगा:

परन्तु यदि ऐसा यान उस अवधि के दौरान जब इस उपधारा में यथा उल्लिखित उसके दस्तावेज कराधान अधिकारी के पास अभ्यर्पित रहें, चलाया जाता हुआ पाया जाय, तो ऐसे यान का यथास्थिति, स्वामी या संचालक कर का देनदान होगा मानो उक्त दस्तावेज अभ्यर्पित नहीं किये गये थे और धारा 9 की उपधारा (3) के अधीन देय शास्ति का भी देनदार होगा।

(3) जहां परिवहन यान से भिन्न ऐसे मोटरयान जिसके संबंध में इस अधिनियम के अधीन एक बार देय कर का भुगतान कर दिया गया हो, का स्वामी कराधान अधिकारी के संतोषानुसार विहित रीति से यह सिद्ध कर दे कि ऐसे मोटरयान का एक मास या इससे अधिक की लगातार अवधि में उपयोग नहीं किया गया है, वहां वह उक्त अवधि के लिये द्वितीय अनुसूची के भाग "क" में विनिर्दिष्ट दरों पर ऐसे कर की वापसी का हकदार होगा:

परन्तु ऐसी वापसी तब तक अनुमन्य नहीं होगी जब तक कि यान के संबंध में जारी किया गया रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र और टोकन, यदि कोई हो, उसके स्वामी द्वारा कराधान अधिकारी को अभ्यर्पित न कर दिया जाय:

परन्तु यह और कि इस उपधारा के अधीन वापस की जाने वाली कुल धनराशि इस अधिनियम के अधीन भुगतान किये गये एक बार देय कर से अधिक नहीं होगी।

(4) उपधारा (3) के अधीन वापसी की धनराशि की गणना करने में, उस अवधि के किसी भाग को जो एक कलेण्डर मास से कम हो, छोड़ दिया जायेगा।

(5) किसी परिवहन यान से भिन्न ऐसे मोटरयान जिसके संबंध में इस अधिनियम के अधीन एक बार देय कर का भुगतान कर दिया गया है, का स्वामी द्वितीय अनुसूची के भाग "ख" में विनिर्दिष्ट दरों पर ऐसे कर को वापस पाने का इस आधार पर हकदार होगा कि उनसे ऐसे कर के भुगतान के पश्चात् ऐसे यान को स्थायी रूप से किसी अन्य राज्य या संघ राज्य क्षेत्र में लाने के फलस्वरूप ऐसे राज्य या संघ राज्य क्षेत्र में मोटर-यानों पर कर संबंधी किसी अन्य अधिनियमित के अधीन ऐसे यान के संबंध में कर का भुगतान कर दिया है या ऐसे मोटरयान को परिवहन यान के रूप में परिवर्तित किया गया है या ऐसे मोटरयान का रजिस्ट्रीकरण रद्द कर दिया गया है।

(6) जहां ऐसा कोई व्यक्ति जिसने किसी पुराने मोटरयान के संबंध में एक बार देय कर से भिन्न कर का भुगतान कर दिया हो, कराधान अधिकारी के संतोषानुसार यह सिद्ध कर दे कि ऐसे मोटरयान जिसके संबंध में ऐसे कर का भुगतान कर दिया गया है, का उपयोग ऐसे कर या किस्त का अन्तिम बार भुगतान करने के समय से एक कलेण्डर मास या इससे अधिक की लगातार अवधि तक नहीं किया गया है, वहां वह उतनी धनराशि वापस पाने का हकदार होगा जितनी ऐसी अवधि जिसके लिये ऐसे कर का भुगतान कर दिया गया है, के प्रत्येक पूर्ण कलेण्डर मास के लिए ऐसे यान के संबंध में देय वार्षिक कर की दर के बारहवें भाग के बराबर हो:

परन्तु ऐसी वापसी तब तक अनुमन्य नहीं होगी जब तक कि ऐसे व्यक्ति ने कराधान अधिकारी के पास यान के संबंध में जारी किया गया रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र और टोकन, यदि कोई हो, उस अवधि के पूर्व जिसके लिए ऐसे वापसी का दावा किया जाए, अभ्यर्पित न कर दिया हो।

(7) किसी परिवहन यान का कोई संचालक जो उपधारा(1) के अधीन कर वापस पाने का हकदार हो, यथास्थिति धारा 5 या 6 के अधीन भुगतान किये गये अतिरिक्त कर के ऐसे भाग का जो उक्त अवधि के लिए आरोप्य हो उपधारा (1) के अधीन वापस पाने का हकदार होगा और ऐसी वापस की गई धनराशि की गणना उन्हीं सिद्धांतों पर की जायेगी जैसा उक्त उपधारा में निर्धारित है।

(8) जहां किसी मोटरयान का यथास्थिति संचालक या स्वामी अपने मोटरयान का उस यान के दुर्घटनाग्रस्त हो जाने के कारण उपयोग करने में असमर्थ है और उस यान के संबंध में जारी किये गये रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र, टोकन, यदि कोई हो, और परमिट यदि कोई हो, प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रति के साथ उस यान के दुर्घटनाग्रस्त होने के दिनांक से एक सप्ताह के अंदर कराधान अधिकारी को अभ्यर्पित कर दिये जाते हैं, तो यह अभ्यर्पण दुर्घटना के दिनांक को किया गया समझा जायेगा।

(9) किसी यात्री अथवा माल वाहन के दुर्घटनाग्रस्त हो जाने अथवा वाहन को किसी अधिनियम के अन्तर्गत निरुद्ध किये जाने की दशा में सक्षम कर अधिकारी की संस्तुति के पर्याप्त साक्ष्य प्रस्तुत करने की दशा में इस हेतु सक्षम अधिकारी के समक्ष साक्ष्य के साथ आवेदन प्रस्तुत करने पर किसी भी पूर्ण कलैण्डर माह की अवधि के लिए वाहन का अप्रयोग स्वीकार किया जा सकेगा जिसके हेतु कर की देयता अनुसार सक्षम अधिकारी निम्नवत् होंगे—

रु0 10,000.00 तक	सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी
रु0 10,000.00 से 20,000.00 तक	संभागीय परिवहन अधिकारी
रु0 20,000.00 से 30,000.00 तक	परिवहन आयुक्त द्वारा नामित उप-परिवहन आयुक्त (यात्रीकर) एवं अपर परिवहन आयुक्त
रु0 30,000.00 से अधिक राशि हेतु	परिवहन आयुक्त

सक्षम होंगे तथा सम्यक जांचोपरांत सक्षम अधिकारी द्वारा कर/अतिरिक्त कर का परिहार किया जायेगा।

13. (1) प्रत्येक मोटरयान का स्वामी या संचालक विहित प्रपत्र में उसके संबंध में एक घोषण करेगा और विहित समय के भीतर कराधान अधिकारी को देगा और उसे इस अधिनियम की अपेक्षानुसार या उसके अधीन कर या अतिरिक्त कर जिसका वह ऐसे यान के संबंध में ऐसी घोषणा द्वारा देनदार प्रतीत होता हो, भुगतान करेगा।

यान को उपयोगार्थ रखने वाले व्यक्ति द्वारा घोषणा

(2) जहां किसी मोटरयान में इस प्रकार परिवर्तन किया जाय कि उसका स्वामी या संचालक धारा 14 के अधीन बढ़े हुए कर या अतिरिक्त कर का देनदार हो जाय, वहां ऐसा स्वामी या संचालक विहित समय के भीतर विहित प्रपत्र में किये गये परिवर्तन की प्रकृति को दर्शाते हुए एक अतिरिक्त घोषणा करेगा और घोषणा कराधान अधिकारी को देगा और उसे धारा 14 के अधीन देय कर या अतिरिक्त कर में अन्तर का भुगतान करेगा।

14. जहां किसी ऐसे मोटरयान में, जिसके संबंध में कर या अतिरिक्त कर का भुगतान कर दिया गया हो, इस प्रकार परिवर्तन किया जाय कि वह यान ऐसा यान हो जाय जिसके संबंध में अपेक्षाकृत ऊंची दर से कर या अतिरिक्त कर देय हो वहां उसका स्वामी या संचालक ऐसे यान के संबंध में इस प्रकार परिवर्तन करने के पश्चात संयुक्त रूप से और पृथक-पृथक देय कर या अतिरिक्त कर की धनराशि के अन्तर का देनदार होगा।

कर में अन्तर का भुगतान

15. (1) कराधान अधिकारी मोटरयान के संबंध में दिये गये रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र में कर का भुगतान अभिलिखित करेगा और किसी परिवहन यान के मामले में विहित प्रपत्र में टोकन भी जारी करेगा।

रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र में कर के भुगतान का अभिलेखन और टोकन का दिया जाना

(2) कराधान अधिकारी इस निमित्त विहित प्रमाण-पत्र में जो उसके द्वारा जारी किया जायेगा, यथास्थिति, धारा 5 या 6 के अधीन अतिरिक्त कर का भुगतान अभिलिखित करेगा।

यान को रोकने
और प्रवेश करने
की शक्ति

16. कराधान अधिकारी या राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी अन्य अधिकारी द्वारा अपेक्षा किये जाने पर मोटरयान का ड्राइवर यान को रोकेगा और रोक कर रखेगा जिससे कि वह इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन उस पर अधिरोपित किसी कर्तव्य का पालन कर सके और ऐसा करने के लिये ऐसा प्राधिकारी या अन्य अधिकारी यान में प्रवेश कर सकता है और उसमें यात्रा भी कर सकता है।

समय-सारणी
का दिया जाना

17. (1) प्रत्येक मंजिली गाड़ी का संचालक ऐसे समय के भीतर और ऐसी रीति से जैसी विहित की जाय, कराधान अधिकारी को अपनी मंजिली गाड़ी के आगमन और प्रस्थान करने के समय को विनियमित करने वाली एक सारणी के साथ एक तिमाही में की गयी एकल यात्राओं की संख्या और अपने कारबार से संबंधित ऐसे अन्य विवरण देगा जैसा कराधान अधिकारी समय-समय पर आदेश द्वारा अपेक्षा करे।

(3) उपधारा (1) निर्दिष्ट समयमापनों या विवरण में किसी परिवर्तन की सूचना संचालक द्वारा कराधान अधिकारी को ऐसे परिवर्तन के प्रभावी होने के पन्द्रह दिन के भीतर दी जायेगी।

अपील

18. (1) धारा 12 के अधीन कराधान अधिकारी के आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति ऐसे आदेश की प्राप्ति के दिनांक से तीस दिन के भीतर अपील प्राधिकारी को अपील कर सकता है।

(2) अपील प्राधिकारी अपीलार्थी को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात ऐसा आदेश दे सकता है जैसा वह उचित समझे।

(3) उपधारा (1) के अधीन किसी अपील में अपील प्राधिकारी द्वारा दिया गया प्रत्येक आदेश अन्तिम होगा।

अपराधों का
दण्ड

19. जो कोई इस अधिनियम या उसके अधीन बनाये गये नियमों के किन्हीं उपबंधों का उल्लंघन करता है वह जुर्माने से जो पांच सौ रुपये तक हो सकेगा, दण्डनीय होगा और द्वितीय या अनुवर्ती तत्सदृश अपराध के लिये जुर्माने से, जो एक हजार रुपये तक हो सकेगा, दण्डनीय होगा।

परन्तु कोई न्यायालय ऐसे कारणों के सिवाय जो लिखित रूप में अभिलिखित किये जायेंगे किसी ऐसे द्वितीय या अनुवर्ती अपराध के लिये पांच सौ रुपये से कम का जुर्माना आरोपित नहीं करेगा।

कर की वसूली

20. (1) इस अधिनियम के अधीन देय किसी कर या अतिरिक्त कर या शास्ति का बकाया भू-राजस्व के बकाये की भांति वसूलीय होगा।

(2) इस अधिनियम के अधीन देय कर, अतिरिक्त कर और शास्ति मोटरयान जिसमें उसके उप साधन भी हैं, पर जिसके संबंध में यह देय हो, प्रथम भार होगा।

साक्षियों आदि
को हाजिर होने
को प्रवृत्त करने
की शक्ति

21. अपील प्राधिकारी या इस अधिनियम के अधीन कोई जांच करने वाले कराधान अधिकारी को निम्नलिखित के संबंध में ऐसी सभी शक्तियां होंगी जो किसी सिविल न्यायालय में किसी सिविल वाद की सुनवाई के समय निहित होती हैं—

(क) साक्षियों को समन करना और हाजिर कराना और शपथ या प्रतिज्ञान पर या अन्यथा उनकी परीक्षा करना और साक्षियों की परीक्षा के लिये कमीशन जारी करना या अनुरोध करना;

(ख) किसी व्यक्ति को कोई दस्तावेज पेश करने के लिये बाध्य करना; और

(ग) पूर्ववर्ती खंडों में निर्दिष्ट ऐसी शक्तियों का प्रयोग करके जारी किये गये आदेशों की अवज्ञा करने वाले दोषी व्यक्तियों को दण्डित करना।

कर का भुगतान
न करने की
दशा में परिवहन
यान को निरुद्ध
करना

22. (1) जहां राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी अधिकारी को यह विश्वास करने का कारण हो कि किसी व्यक्ति द्वारा कर, अतिरिक्त कर या शास्ति, यदि कोई हो, का भुगतान किये बिना किसी परिवहन यान का उपयोग किया गया है या किया जा रहा है, वहां ऐसा अधिकारी परिवहन यान को अभिग्रहीत और निरुद्ध कर सकता है और इस प्रयोजन के लिये ऐसी कार्यवाही कर सकता है या करा सकता है जिसे वह परिवहन यान के ड्राइवर से उसे निकटतम पुलिस थाने या उसके द्वारा विनिर्दिष्ट किसी अन्य स्थान तक पहुंचने की अपेक्षा कर सकता है, जहां पुलिस अभिरक्षा में वाहन को लिया जाना अनिवार्य होगा तथा पुलिस तब तक अपनी अभिरक्षा में रखेगी जब तक सक्षम अधिकारी का वाहन मुक्त करने का आदेश पारित न हो जाए:

परन्तु यान को अभिग्रहीत करने वाला अधिकारी ऐसे अभिग्रहण के अड़तालीस घंटे के भीतर संबंधित कराधान अधिकारी को ऐसे अभिग्रहण की रिपोर्ट भेजेगा।

(2) इस धारा के अधीन अभिग्रहीत या निरुद्ध किसी परिवहन यान को, कर, अतिरिक्त कर, शास्ति या अन्य देयों जिनका भुगतान न करने के कारण यान इस प्रकार अभिग्रहीत या निरुद्ध किया गया था, का भुगतान करने पर, कराधान अधिकारी द्वारा तुरन्त छोड़ दिया जायेगा।

(3) जहां कर, अतिरिक्त कर, शास्ति या अन्य देय धनराशि का भुगतान, जिनका भुगतान न करने के कारण किसी परिवहन यान को इस धारा के अधीन अभिग्रहीत या निरुद्ध किया गया हो, यान के अभिग्रहण या निरुद्ध के दिनांक से 90 दिवस की अवधि के भीतर उपधारा-2 के अधीन राजकीय कोष में जमा न कर दिया जाये, वहां परिवहन आयुक्त किसी समय, ऐसी अन्य कार्यवाही पर, जो इस अधिनियम के अधीन की जा सकती है, प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना विहित रीति से यान की सार्वजनिक नीलामी द्वारा बिक्री करा सकता है और ऐसे यान के विक्रय से प्राप्त राशि से ऐसे यान के सम्बन्ध में देय कर, शास्ति या अन्य धनराशि और ऐसी नीलामी का व्यय, यदि कोई हो, के प्रति समायोजित कर लिया जायेगा और इतिशेष को यदि कोई हो, यान के स्वामी/संचालक को वापस कर दिया जायेगा।

23. इस अधिनियम के अध्याधीन राज्य सरकार या किसी अन्य प्राधिकारी या अधिकारी द्वारा अपने कृत्यों के संबंध में प्रदत्त किसी शक्ति के अनुसरण में किये गये किसी कार्य या की गयी किसी कार्यवाही या जारी किये गये किसी आदेश या निदेश के बारे में किसी सिविल न्यायालय को कोई वाद या कार्यवाही ग्रहण करने की अधिकारिता नहीं होगी।

न्यायालयों की अधिकारिता पर रोक

24. (1) ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुये, जैसी विहित की जायं, कराधान अधिकारी या राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त अधिसूचना द्वारा सशक्त किसी अन्य अधिकारी द्वारा इस अधिनियम के अधीन दण्डनीय किसी अपराध अभियोजन संस्थित किये जाने के पूर्व या उसके पश्चात इस अधिनियम के अधीन ऐसे अपराध के लिये उपबंधित अधिकतम जुर्माने के पचास प्रतिशत के समतुल्य धनराशि की वसूली पर शमन किया जा सकेगा।

अपराधों का प्रशमन

(2) जब किसी अपराध का इस प्रकार शमन—

(एक) अभियोजन संस्थित किये जाने के पूर्व किया जाय, तब अपराधी ऐसे अपराध के लिये अभियोजन का उत्तरदायी नहीं होगा;

(दो) अभियोजन संस्थित किये जाने के पश्चात किया जाय, तब शमन का प्रभाव अपराधी की दोषमुक्ति का होगा और उस व्यक्ति के विरुद्ध उसी अपराध के लिये कोई अग्रेतर कार्यवाही नहीं की जायेगी।

25. कोई न्यायालय इस अधिनियम के अधीन दण्डनीय किसी अपराध का संज्ञान कराधान अधिकारी की ऐसे अपराध को बनाने वाले तथ्यों की लिखित रिपोर्ट के सिवाय नहीं करेगा।

अपराध का संज्ञान

26. (1) यदि इस अधिनियम के अधीन अपराध करने वाला व्यक्ति कोई कम्पनी है तो वह कम्पनी और अपराध किये जाने के समय उसके कार्य संचालन के लिए कम्पनी का प्रभारी और उसके प्रति उत्तरदायी प्रत्येक व्यक्ति भी उस अपराध का दोषी समझा जायेगा और तदनुसार उसके विरुद्ध कार्यवाही की जा सकेगी और उसे दण्डित किया जा सकेगा:

कम्पनियों द्वारा अपराध

परन्तु इस उपधारा की कोई बात से ऐसा व्यक्ति दण्डनीय नहीं होगा यदि वह साबित कर दे कि अपराध उसकी जानकारी के बिना किया गया था या उसने उस अपराध को रोकने के लिये सभी सम्यक् तत्परता बरती थी।

(2) उपधारा (1) में किसी बात के होते हुये भी, जहां इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध किसी कम्पनी द्वारा किया गया है और यह साबित हो जाता है कि अपराध उस कम्पनी के किसी सचिव, निदेशक, प्रबंधक या अन्य अधिकारी की सम्मति या मौनानुमति से किया गया है, या उसकी किसी उपेक्षा के कारण हुआ है, तो कम्पनी का ऐसा सचिव,

निदेशक, प्रबंधक या अन्य अधिकारी भी उस अपराध का दोषी समझा जायेगा और तदनुसार उसके विरुद्ध कार्यवाही की जा सकेगी और उसे दण्ड दिया जा सकेगा।

स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजनों के लिये—

(क) "कम्पनी" का तात्पर्य किसी निगमित निकाय से है और उसके अन्तर्गत कोई फर्म या व्यक्तियों का अन्य संगम भी है; और

(ख) किसी फर्म के संबंध में "निदेशक" का तात्पर्य फर्म के भागीदार से है।

सदभावना से
किये गये कार्य
का संरक्षण

27. इस अधिनियम या उसके अधीन बनाये गये किसी नियम या दिये गये किसी आदेश या निदेश के अनुसरण में सदभावपूर्ण की गयी या की जाने के लिये आशयित किसी बात के लिये राज्य सरकार या उसके किसी अधिकारी या सेवक के विरुद्ध कोई वाद, अभियोजन या अन्य कोई विधिक कार्यवाही नहीं की जायेगी।

राज्य सरकार
की नियम बनाने
की शक्ति

28. (1) राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिये नियम बना सकती है।

(2) विशेषतः और पूर्वगामी शक्तियों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, राज्य सरकार निम्नलिखित समस्त या किन्हीं प्रयोजनों के लिये नियम बना सकती है, अर्थात्—

(क) वह रीति जिसके अनुसार और प्रपत्र जिसमें और प्राधिकारी जिसे इस अधिनियम के अधीन कर या अतिरिक्त कर के भुगतान के लिये आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया जायेगा, विहित करना;

(ख) किसी प्रमाण-पत्र, घोषणा, नोटिस, रसीद या टोकन का प्रपत्र और उसमें उल्लिखित किये जाने वाले विवरण और किसी मोटरयान पर टोकन प्रदर्शित करने की रीति, विहित करना;

(ग) वह रीति जिसके अनुसार फीस, जिसका भुगतान करने पर इस अधिनियम के अधीन टोकन या प्रमाण-पत्र दिया या अन्तरित किया जा सकता है, विहित करना;

(घ) सामान्य रूप से ऐसे प्राधिकारियों को जिनके द्वारा और ऐसी रीति जिसके अनुसार इस अधिनियम के उपबंधों को प्रभावी करने के संबंध में या उसमें आनुषंगिक किसी कर्तव्य का पालन किया जा सके, विहित करना;

(ङ) कर, अतिरिक्त कर और शास्ति के भुगतान और उनकी वसूली की रीति को विनियमित करना;

(च) वह रीति विनियमित करना जिसके अनुसार कर या अतिरिक्त कर से छूट और वापस की जाने वाली धनराशि का दावा किया जा सके और उसे स्वीकृत किया जा सके;

(छ) अपील के लिये फीस विहित करना और ऐसी रीति विनियमित करना जिसके अनुसार अपील संस्थित की जा सके और उनकी सुनवाई की जा सके;

(ज) इस अधिनियम के अधीन पारित आदेशों या जारी नोटिसों की तामीली की रीति विहित करना;

(झ) धारा 17 के अधीन समय-सारणी और अन्य विवरण प्रस्तुत करने का समय और रीति विहित करना;

(ञ) वह रीति विहित करना जिसमें मार्गों को वर्गीकृत किया जाना है;

(ट) वह रीति विहित करना जिसमें उत्तरांचल सड़क परिवहन दुर्घटना सहायता निधि प्रशासित की जायेगी और उसका उपयोग किया जायेगा;

(ठ) कोई अन्य विषय जिसके लिये नियम बनाया जाना हो या बनाया जा सकता है।

29. (1) राज्य सरकार किसी कठिनाई को दूर करने के प्रयोजनों के लिये, अधिसूचित आदेश द्वारा, यह निदेश दे सकती है कि इस अधिनियम के उपबंध ऐसी अवधि के दौरान जैसी आदेश में विनिर्दिष्ट की जाय, ऐसे अनुकूलनों के अधीन रहते हुए चाहे वे परिष्कार, परिवर्द्धन या लोप के रूप में हों जिन्हें वह आवश्यक या समीचीन समझे, प्रभावी होगा; परन्तु इस अधिनियम के प्रारम्भ के दिनांक से दो वर्ष की समाप्ति के पश्चात् ऐसा कोई आदेश नहीं दिया जायेगा।

कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति

(2) उपधारा (1) के अधीन दिया गया प्रत्येक आदेश यथाशीघ्र राज्य विधान सभा के समक्ष रखा जायेगा और पूर्ववर्ती उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 (यथा उत्तरांचल में लागू) की धारा 23-क की उपधारा (1) के उपबंध जैसे वे किसी पूर्ववर्ती उत्तर प्रदेश अधिनियम के अधीन राज्य सरकार द्वारा बनाये गये नियमों के संबंध में लागू होते थे, लागू होंगे।

(3) उपधारा (1) के अधीन कोई आदेश किसी न्यायालय में इस आधार पर विवादग्रस्त नहीं किया जायेगा कि उपधारा (1) में यथानिर्दिष्ट कोई कठिनाई नहीं थी या उसे दूर करना अपेक्षित नहीं था।

30. (1) उत्तर प्रदेश मोटरयान कराधान अधिनियम, 1997 (यथा उत्तरांचल में लागू) को एतद्वारा उत्तरांचल राज्य की सीमा के भीतर निरसित किया जाता है।

(2) उत्तरांचल गठन से पूर्व उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 (यथा उत्तरांचल में लागू) की धारा 6 की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, उपधारा (1) में निर्दिष्ट अधिनियमितियों के निरसन का कोई प्रभाव ऐसे निरसन के दिनांक के पूर्व उपगत किसी दायित्व पर और किसी सक्षम प्राधिकारी या न्यायालय के समक्ष उक्त दिनांक को ऐसी अधिनियमितियों के अधीन लम्बित कार्यवाहियों पर नहीं पड़ेगा और इस अधिनियम के प्रारम्भ के पश्चात् संस्थित उपर्युक्त किसी ऐसे दायित्व से संबंधित समस्त कार्यवाहियां जारी रहेंगी और उनका निस्तारण इस प्रकार किया जायेगा मानों यह अधिनियम प्रवृत्त नहीं हुआ हो।

निरसन और अपवाद

प्रथम अनुसूची (धारा-4 देखिये)

भाग "क"

परिवहन यानों से भिन्न यानों का वर्गीकरण जिनके संदर्भ में इस अनुसूची के भाग "ख" और "ग" और द्वितीय अनुसूची के भाग "क" और "ख" में दरें विहित की गयी हैं।

यानों का विवरण

प्रस्तर एक—मोटर साइकिल (जिसके अन्तर्गत स्कूटर और मोपोड भी हैं)

- (1) वजन में 80 किलोग्राम से अनधिक लदान रहित;
- (2) वजन में 80 किलोग्राम से अधिक, किन्तु 500 किलोग्राम से अनधिक लदान रहित;

प्रस्तर दो— (1) केवल व्यक्तियों और हल्का वैयक्तिक सामान ले जाने के लिये बनाये गये और उपयोग में लाये जाने वाले यान जो मोटर साइकिल न हों और जिसमें ड्राइवर को छोड़कर छः से अनधिक व्यक्तियों के बैठने का स्थान हो।

- (2) इस प्रस्तर के अन्तर्गत आने वाले यानों द्वारा खींचे जाने वाले ट्रेलर।

प्रस्तर तीन— ड्राइवर को छोड़कर छः से अधिक व्यक्तियों को ले जाने के लिये बनाये गये या उपयोग के लिये अपनाये गये 500 किलोग्राम से अधिक वजन वाले लदान रहित यान, जिनके अन्तर्गत मोटर साइकिलें भी हैं—

- (1) (क) वजन में 2000 किलोग्राम से अनधिक लदान रहित;
- (ख) वजन में 2000 किलोग्राम से अधिक किन्तु 3000 किलोग्राम से अनधिक लदान रहित;
- (ग) वजन में 3000 किलोग्राम से अधिक किन्तु 4000 किलोग्राम से अनधिक लदान रहित;
- (घ) वजन में 4000 किलोग्राम से अधिक किन्तु 5000 किलोग्राम से अनधिक लदान रहित;
- (ङ) वजन में 5000 किलोग्राम से अधिक लदान रहित।

- (2) इस प्रस्तर के अन्तर्गत आने वाले यानों द्वारा खींचे जाने वाले ट्रेलर।

भाग "ग"

धारा 4 की उपधारा (1) के परन्तुक के अधीन (एक बार देय कर से अभिन्न) कर की दरें

क्रम संख्या	भाग "क" के प्रस्तर के अनुसार यान	कर की वार्षिक दर (रुपये में)
1	2	3
1.	एक (1)	90.00
2.	एक (2)	150.00
3.	दो (1)	500.00
4.	दो (2)	55.00
5.	तीन (1) (क)	528.00
6.	तीन (1) (ख)	748.00
7.	तीन (1) (ग)	1034.00
8.	तीन (1) (घ)	1210.00
9.	तीन (1) (ङ)	1210.00
और 5000 किलोग्राम से अधिक प्रत्येक 1000 किलोग्राम या उसके भाग के लिये 484.00 रुपये		
10.	तीन (2)	110.00

परन्तु यह कि निम्नलिखित वर्गों के स्वामियों के सिवाय पेट्रोल/डीजल से चलने वाले समस्त मोटरयानों के संबंध में कर की दरें इस भाग के प्रस्तर एक, दो और तीन के सामने विनिर्दिष्ट दरों की दोगुनी होंगी, अर्थात्—

(क) एकल व्यक्ति,

(ख) नगरपालिका परिषद्, नगर निगम, जिला पंचायत, नगर पंचायत या क्षेत्र पंचायत,

(ग) किसी विधि द्वारा या उसके अधीन स्थापित विश्वविद्यालय,

(घ) कोई मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्था,

(ङ) कोई सार्वजनिक पूर्त न्यास,

(च) राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त, अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट लोक प्रयोजनों के लिये मोटरयानों का उपयोग करने वाले किसी अन्य वर्ग के व्यक्ति

भाग "घ"

धारा 4 की उपधारा (2) के अधीन परिवहन यानों पर कर की दरें

प्रस्तर	यान का विवरण	कर की त्रैमासिक दरें (रुपये में)
1	2	3
एक	यात्रियों के सवारी के लिए और यात्रियों के हल्के वैयक्तिक सामान को ले जाने के लिये चलने वाले यान—	
	(1) जिसमें ड्राइवर को छोड़कर तीन से अनधिक व्यक्तियों के बैठने का स्थान हो	95.00
	(2) जिसमें ड्राइवर को छोड़कर चार व्यक्तियों के बैठने का स्थान हो:	185.00
	(3) जिसमें ड्राइवर को छोड़कर चार से अधिक किन्तु छः से अनधिक व्यक्तियों के बैठने का स्थान हो:	
	(क) तीन पहियों वाले	185.00
	(ख) अन्य	230.00

1	2	3
	(4) जिसमें ड्राइवर को छोड़कर छः से अधिक किन्तु बारह से अनधिक व्यक्तियों के बैठने का स्थान हो:	
	(क) यदि "क-वर्ग" के मार्गों पर उपयोग के लिये आशयित हो	350.00
	(ख) यदि "ख-वर्ग" के मार्ग पर उपयोग के लिये आशयित हो	201.00
	(5) जिसमें ड्राइवर को छोड़कर बारह से अधिक किन्तु बीस से अनधिक व्यक्तियों के बैठने का स्थान हो:	
	(क) यदि "क-वर्ग" के मार्गों पर उपयोग के लिये आशयित हो	
	(एक) प्रथम बारह सीटों के लिये	350.00
	(दो) प्रत्येक अतिरिक्त सीट के लिये	30.00
	(ख) यदि "ख-वर्ग" के मार्ग पर उपयोग के लिये आशयित हो	
	(एक) प्रथम बारह सीटों के लिये	201.00
	(दो) प्रत्येक अतिरिक्त सीट के लिये	8.00
	(6) जिसमें ड्राइवर को छोड़कर बीस से अधिक किन्तु पैंतीस से अनधिक व्यक्तियों के बैठने का स्थान हो:	
	(क) यदि "क-वर्ग" के मार्गों पर उपयोग के लिये आशयित हो	
	(एक) प्रथम बारह सीटों के लिये	590.00
	(दो) प्रत्येक अतिरिक्त सीट के लिये	35.00
	(ख) यदि "ख-वर्ग" के मार्ग पर उपयोग के लिये आशयित हो	
	(एक) प्रथम बीस सीटों के लिये	265.00
	(दो) प्रत्येक अतिरिक्त सीट के लिये	11.50
	(7) जिसमें ड्राइवर को छोड़कर पैंतीस से अधिक व्यक्तियों के बैठने का स्थान हो:	
	(क) यदि "क-वर्ग" के मार्ग पर उपयोग के लिये आशयित हो	1115.00 और पैंतीस से अधिक प्रत्येक स्थान के लिये 45.00 रुपये
	(ख) यदि "ख-वर्ग" के मार्ग पर उपयोग के लिये आशयित हो	438.00 और पैंतीस से अधिक प्रत्येक स्थान के लिये 17.00 रुपये

स्पष्टीकरण:—इस प्रस्तर के प्रयोजन के लिये खड़े रहने की स्वीकृत क्षमता यदि कोई हो, का पचास प्रतिशत अतिरिक्त बैठने की क्षमता के रूप में गिना जाएगा।

दो	सीमित संख्या में यात्रियों के सवारी के लिये और यात्रियों के वैयक्तिक माल के परिसीमित मात्रा का परिवहन करने के लिये भाड़े पर चलने वाले यान, यात्रियों के सीटों की प्राधिकृत संख्या के संबंध में प्रस्तर एक के अधीन देय कर के अतिरिक्त यान के (सकल यान भार) के प्रत्येक मीट्रिक टन या उसके भाग के लिये [मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा (2) उपधारा (13) में परिभाषित माल की स्वीकृति पंजीयन/परमिट अनुसार]	45.00
----	---	-------

1	2	3
तीन	केवल माल के परिवहन के लिये चलाये जाने वाले यानों जिसके अन्तर्गत ट्रेक्टरों से संलग्न ऐसे ट्रेलर नहीं हैं जिनका उपयोग केवल कृषि प्रयोजनों के लिये किया जाता है, के (सकल यान भार) के प्रत्येक मीट्रिक टन या उसके भाग के लिये:	
	(एक) एक सम्भाग के लिये	70.00
	(दो) एक से अधिक सम्भाग के लिये	85.00
चार	ट्रेक्टर जिसके द्वारा ट्रेलर खींचा जाता है और जिसका उपयोग कृषि प्रयोजनों से भिन्न किन्हीं प्रयोजनों के लिये किया जाता है:	
	उसके द्वारा खींचे जाने वाले ट्रेलर या ट्रेलरों के संबंध में भुगतान किये गये कर के अतिरिक्त कर	45.00

स्पष्टीकरण:-

- (एक) जहां पर किसी मोटरयान का उपयोग विभिन्न प्रयोजनों के लिये या ऐसी रीति से, किया जाता है जिससे कि वह इस अनुसूची के एक से अधिक प्रस्तरों के अधीन कर योग्य हो जाय, वहां देय कर सबसे ऊँची समुचित दर पर होगी।
- (दो) जहां कोई मोटरयान शयनयान से सज्जित हो, वहां प्रत्येक शयनयान को इस भाग के प्रस्तर एक और दो प्रयोजनों के लिये दो यात्री सीट के बराबर समझा जायेगा।
- (तीन) किसी मोटरयान से संलग्न या उसके द्वारा खींचा जाने वाला प्रत्येक ट्रेलर जो इस भाग के प्रस्तर दो, तीन और चार में से किन्हीं के अधीन कर-योग्य हो, पृथक मोटरयान समझा जायेगा जिस पर उक्त प्रस्तर में यथा विनिर्दिष्ट समुचित कर लगेगा।

द्वितीय अनुसूची
(धारा 12 देखिये)
भाग "क"

धारा 12 की उपधारा (3) के अधीन एक बार कर की वापसी की दरें

क्रम-संख्या	प्रथम अनुसूची के भाग "क" के प्रस्तर के अनुसार यान	मोटरयान के उपयोग न किये जाने के प्रत्येक मास के लिये वापस की जाने वाली धनराशि (रुपये में)
1	2	3
1.	एक (1)	3.00
2.	एक (2)	5.00
3.	दो (1)	20.00
4.	दो (2)	2.00
5.	तीन (1) (क)	24.00
6.	तीन (1) (ख)	34.00
7.	तीन (1) (ग)	47.00
8.	तीन (1) (घ)	55.00
9.	तीन (1) (ङ)	55.00
		और 5000 किलोग्राम से अधिक प्रत्येक 1000 किग्रा. या उसके भाग के लिये 22.00 रुपये
10.	तीन (2)	5.00

परन्तु यह कि ऐसे समस्त मोटरयानों जिनके संबंध में प्रथम अनुसूची के भाग "ख" के परन्तुक के अधीन दोगुनी दर पर कर का भुगतान कर दिया गया हो, के संबंध में वापसी की दरें उपर्युक्त विनिर्दिष्ट दरों की दोगुनी होगी।

भाग "ख"
धारा 12 की उपधारा (5) के अधीन एक बार कर की वापसी की दर

वापस की जाने वाली धनराशि (रुपये में) यदि यानों की आय उसके मूल रजिस्ट्रिकरण के माह से

क्र. सं.	प्रथम अनुसूची के खण्ड "क" के अधीन एक वर्ष से अधिक न हो	दो वर्ष से अधिक किन्तु अधिक न हो	तीन वर्ष से अधिक किन्तु अधिक न हो	चार वर्ष से अधिक किन्तु अधिक न हो	पाँच वर्ष से अधिक किन्तु अधिक न हो	छ: वर्ष से अधिक किन्तु अधिक न हो	सात वर्ष से अधिक किन्तु अधिक न हो	आठ वर्ष से अधिक किन्तु अधिक न हो	नौ वर्ष से अधिक किन्तु अधिक न हो	दस वर्ष से अधिक किन्तु अधिक न हो	अधिक न हो	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1. एक (1)	475.00	317.00	158.00	900.00	3361.00	2950.00	750.00	600.00	450.00	300.00	168.00	शून्य
2. एक (2)	1200.00	3770.00	460.00	411.00	3872.00	5518.00	4840.00	3388.00	2904.00	2420.00	169.00	शून्य
3. दो (1)	4180.00	1050.00	4840.00	4356.00	6195.00	7543.00	10007.00	8906.00	7805.00	6703.00	5602.00	शून्य
4. दो (2)	508.00	460.00	4840.00	4356.00	6195.00	7543.00	10007.00	8906.00	7805.00	6703.00	5602.00	शून्य
5. तीन (1) (क)	4840.00	4356.00	4840.00	4356.00	6195.00	7543.00	10007.00	8906.00	7805.00	6703.00	5602.00	शून्य
6. तीन (1) (ख)	6873.00	4356.00	4840.00	4356.00	6195.00	7543.00	10007.00	8906.00	7805.00	6703.00	5602.00	शून्य
7. तीन (1) (ग)	9486.00	7543.00	4840.00	4356.00	6195.00	7543.00	10007.00	8906.00	7805.00	6703.00	5602.00	शून्य
8. तीन (1) (घ)	11108.00	10007.00	4840.00	4356.00	6195.00	7543.00	10007.00	8906.00	7805.00	6703.00	5602.00	शून्य
9. तीन (1) (ङ)	11108.00	10007.00	4840.00	4356.00	6195.00	7543.00	10007.00	8906.00	7805.00	6703.00	5602.00	शून्य
10. तीन (2)	1016.00	4453.00	920.00	823.00	3582.00	3146.00	726.00	629.00	532.00	436.00	339.00	शून्य
	कं लिए उसके भाग किलोग्राम या अधिक प्रत्येक	कं लिए उसके भाग किलोग्राम या अधिक प्रत्येक	कं लिए उसके भाग किलोग्राम या अधिक प्रत्येक	कं लिए उसके भाग किलोग्राम या अधिक प्रत्येक	कं लिए उसके भाग किलोग्राम या अधिक प्रत्येक	कं लिए उसके भाग किलोग्राम या अधिक प्रत्येक	कं लिए उसके भाग किलोग्राम या अधिक प्रत्येक	कं लिए उसके भाग किलोग्राम या अधिक प्रत्येक	कं लिए उसके भाग किलोग्राम या अधिक प्रत्येक	कं लिए उसके भाग किलोग्राम या अधिक प्रत्येक	कं लिए उसके भाग किलोग्राम या अधिक प्रत्येक	शून्य
	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	शून्य
	किलोग्राम या अधिक प्रत्येक	किलोग्राम या अधिक प्रत्येक	किलोग्राम या अधिक प्रत्येक	किलोग्राम या अधिक प्रत्येक	किलोग्राम या अधिक प्रत्येक	किलोग्राम या अधिक प्रत्येक	किलोग्राम या अधिक प्रत्येक	किलोग्राम या अधिक प्रत्येक	किलोग्राम या अधिक प्रत्येक	किलोग्राम या अधिक प्रत्येक	किलोग्राम या अधिक प्रत्येक	शून्य
	कं लिए उसके भाग किलोग्राम या अधिक प्रत्येक	कं लिए उसके भाग किलोग्राम या अधिक प्रत्येक	कं लिए उसके भाग किलोग्राम या अधिक प्रत्येक	कं लिए उसके भाग किलोग्राम या अधिक प्रत्येक	कं लिए उसके भाग किलोग्राम या अधिक प्रत्येक	कं लिए उसके भाग किलोग्राम या अधिक प्रत्येक	कं लिए उसके भाग किलोग्राम या अधिक प्रत्येक	कं लिए उसके भाग किलोग्राम या अधिक प्रत्येक	कं लिए उसके भाग किलोग्राम या अधिक प्रत्येक	कं लिए उसके भाग किलोग्राम या अधिक प्रत्येक	कं लिए उसके भाग किलोग्राम या अधिक प्रत्येक	शून्य
	1016.00	4453.00	920.00	823.00	3582.00	3146.00	726.00	629.00	532.00	436.00	339.00	शून्य
	कं लिए उसके भाग किलोग्राम या अधिक प्रत्येक	कं लिए उसके भाग किलोग्राम या अधिक प्रत्येक	कं लिए उसके भाग किलोग्राम या अधिक प्रत्येक	कं लिए उसके भाग किलोग्राम या अधिक प्रत्येक	कं लिए उसके भाग किलोग्राम या अधिक प्रत्येक	कं लिए उसके भाग किलोग्राम या अधिक प्रत्येक	कं लिए उसके भाग किलोग्राम या अधिक प्रत्येक	कं लिए उसके भाग किलोग्राम या अधिक प्रत्येक	कं लिए उसके भाग किलोग्राम या अधिक प्रत्येक	कं लिए उसके भाग किलोग्राम या अधिक प्रत्येक	कं लिए उसके भाग किलोग्राम या अधिक प्रत्येक	शून्य
	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	शून्य
	किलोग्राम या अधिक प्रत्येक	किलोग्राम या अधिक प्रत्येक	किलोग्राम या अधिक प्रत्येक	किलोग्राम या अधिक प्रत्येक	किलोग्राम या अधिक प्रत्येक	किलोग्राम या अधिक प्रत्येक	किलोग्राम या अधिक प्रत्येक	किलोग्राम या अधिक प्रत्येक	किलोग्राम या अधिक प्रत्येक	किलोग्राम या अधिक प्रत्येक	किलोग्राम या अधिक प्रत्येक	शून्य
	कं लिए उसके भाग किलोग्राम या अधिक प्रत्येक	कं लिए उसके भाग किलोग्राम या अधिक प्रत्येक	कं लिए उसके भाग किलोग्राम या अधिक प्रत्येक	कं लिए उसके भाग किलोग्राम या अधिक प्रत्येक	कं लिए उसके भाग किलोग्राम या अधिक प्रत्येक	कं लिए उसके भाग किलोग्राम या अधिक प्रत्येक	कं लिए उसके भाग किलोग्राम या अधिक प्रत्येक	कं लिए उसके भाग किलोग्राम या अधिक प्रत्येक	कं लिए उसके भाग किलोग्राम या अधिक प्रत्येक	कं लिए उसके भाग किलोग्राम या अधिक प्रत्येक	कं लिए उसके भाग किलोग्राम या अधिक प्रत्येक	शून्य
	1016.00	4453.00	920.00	823.00	3582.00	3146.00	726.00	629.00	532.00	436.00	339.00	शून्य
	कं लिए उसके भाग किलोग्राम या अधिक प्रत्येक	कं लिए उसके भाग किलोग्राम या अधिक प्रत्येक	कं लिए उसके भाग किलोग्राम या अधिक प्रत्येक	कं लिए उसके भाग किलोग्राम या अधिक प्रत्येक	कं लिए उसके भाग किलोग्राम या अधिक प्रत्येक	कं लिए उसके भाग किलोग्राम या अधिक प्रत्येक	कं लिए उसके भाग किलोग्राम या अधिक प्रत्येक	कं लिए उसके भाग किलोग्राम या अधिक प्रत्येक	कं लिए उसके भाग किलोग्राम या अधिक प्रत्येक	कं लिए उसके भाग किलोग्राम या अधिक प्रत्येक	कं लिए उसके भाग किलोग्राम या अधिक प्रत्येक	शून्य
	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	शून्य
	किलोग्राम या अधिक प्रत्येक	किलोग्राम या अधिक प्रत्येक	किलोग्राम या अधिक प्रत्येक	किलोग्राम या अधिक प्रत्येक	किलोग्राम या अधिक प्रत्येक	किलोग्राम या अधिक प्रत्येक	किलोग्राम या अधिक प्रत्येक	किलोग्राम या अधिक प्रत्येक	किलोग्राम या अधिक प्रत्येक	किलोग्राम या अधिक प्रत्येक	किलोग्राम या अधिक प्रत्येक	शून्य
	कं लिए उसके भाग किलोग्राम या अधिक प्रत्येक	कं लिए उसके भाग किलोग्राम या अधिक प्रत्येक	कं लिए उसके भाग किलोग्राम या अधिक प्रत्येक	कं लिए उसके भाग किलोग्राम या अधिक प्रत्येक	कं लिए उसके भाग किलोग्राम या अधिक प्रत्येक	कं लिए उसके भाग किलोग्राम या अधिक प्रत्येक	कं लिए उसके भाग किलोग्राम या अधिक प्रत्येक	कं लिए उसके भाग किलोग्राम या अधिक प्रत्येक	कं लिए उसके भाग किलोग्राम या अधिक प्रत्येक	कं लिए उसके भाग किलोग्राम या अधिक प्रत्येक	कं लिए उसके भाग किलोग्राम या अधिक प्रत्येक	शून्य
	1016.00	4453.00	920.00	823.00	3582.00	3146.00	726.00	629.00	532.00	436.00	339.00	शून्य
	कं लिए उसके भाग किलोग्राम या अधिक प्रत्येक	कं लिए उसके भाग किलोग्राम या अधिक प्रत्येक	कं लिए उसके भाग किलोग्राम या अधिक प्रत्येक	कं लिए उसके भाग किलोग्राम या अधिक प्रत्येक	कं लिए उसके भाग किलोग्राम या अधिक प्रत्येक	कं लिए उसके भाग किलोग्राम या अधिक प्रत्येक	कं लिए उसके भाग किलोग्राम या अधिक प्रत्येक	कं लिए उसके भाग किलोग्राम या अधिक प्रत्येक	कं लिए उसके भाग किलोग्राम या अधिक प्रत्येक	कं लिए उसके भाग किलोग्राम या अधिक प्रत्येक	कं लिए उसके भाग किलोग्राम या अधिक प्रत्येक	शून्य
	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	शून्य
	किलोग्राम या अधिक प्रत्येक	किलोग्राम या अधिक प्रत्येक	किलोग्राम या अधिक प्रत्येक	किलोग्राम या अधिक प्रत्येक	किलोग्राम या अधिक प्रत्येक	किलोग्राम या अधिक प्रत्येक	किलोग्राम या अधिक प्रत्येक	किलोग्राम या अधिक प्रत्येक	किलोग्राम या अधिक प्रत्येक	किलोग्राम या अधिक प्रत्येक	किलोग्राम या अधिक प्रत्येक	शून्य
	कं लिए उसके भाग किलोग्राम या अधिक प्रत्येक	कं लिए उसके भाग किलोग्राम या अधिक प्रत्येक	कं लिए उसके भाग किलोग्राम या अधिक प्रत्येक	कं लिए उसके भाग किलोग्राम या अधिक प्रत्येक	कं लिए उसके भाग किलोग्राम या अधिक प्रत्येक	कं लिए उसके भाग किलोग्राम या अधिक प्रत्येक	कं लिए उसके भाग किलोग्राम या अधिक प्रत्येक	कं लिए उसके भाग किलोग्राम या अधिक प्रत्येक	कं लिए उसके भाग किलोग्राम या अधिक प्रत्येक	कं लिए उसके भाग किलोग्राम या अधिक प्रत्येक	कं लिए उसके भाग किलोग्राम या अधिक प्रत्येक	शून्य
	1016.00	4453.00	920.00	823.00	3582.00	3146.00	726.00	629.00	532.00	436.00	339.00	शून्य
	कं लिए उसके भाग किलोग्राम या अधिक प्रत्येक	कं लिए उसके भाग किलोग्राम या अधिक प्रत्येक	कं लिए उसके भाग किलोग्राम या अधिक प्रत्येक	कं लिए उसके भाग किलोग्राम या अधिक प्रत्येक	कं लिए उसके भाग किलोग्राम या अधिक प्रत्येक	कं लिए उसके भाग किलोग्राम या अधिक प्रत्येक	कं लिए उसके भाग किलोग्राम या अधिक प्रत्येक	कं लिए उसके भाग किलोग्राम या अधिक प्रत्येक	कं लिए उसके भाग किलोग्राम या अधिक प्रत्येक	कं लिए उसके भाग किलोग्राम या अधिक प्रत्येक	कं लिए उसके भाग किलोग्राम या अधिक प्रत्येक	शून्य
	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	शून्य
	किलोग्राम या अधिक प्रत्येक	किलोग्राम या अधिक प्रत्येक	किलोग्राम या अधिक प्रत्येक	किलोग्राम या अधिक प्रत्येक	किलोग्राम या अधिक प्रत्येक	किलोग्राम या अधिक प्रत्येक	किलोग्राम या अधिक प्रत्येक	किलोग्राम या अधिक प्रत्येक	किलोग्राम या अधिक प्रत्येक	किलोग्राम या अधिक प्रत्येक	किलोग्राम या अधिक प्रत्येक	शून्य
	कं लिए उसके भाग किलोग्राम या अधिक प्रत्येक	कं लिए उसके भाग किलोग्राम या अधिक प्रत्येक	कं लिए उसके भाग किलोग्राम या अधिक प्रत्येक	कं लिए उसके भाग किलोग्राम या अधिक प्रत्येक	कं लिए उसके भाग किलोग्राम या अधिक प्रत्येक	कं लिए उसके भाग किलोग्राम या अधिक प्रत्येक	कं लिए उसके भाग किलोग्राम या अधिक प्रत्येक	कं लिए उसके भाग किलोग्राम या अधिक प्रत्येक	कं लिए उसके भाग किलोग्राम या अधिक प्रत्येक	कं लिए उसके भाग किलोग्राम या अधिक प्रत्येक	कं लिए उसके भाग किलोग्राम या अधिक प्रत्येक	शून्य
	1016.00	4453.00	920.00	823.00	3582.00	3146.00	726.00	629.00	532.00	436.00	339.00	शून्य
	कं लिए उसके भाग किलोग्राम या अधिक प्रत्येक	कं लिए उसके भाग किलोग्राम या अधिक प्रत्येक	कं लिए उसके भाग किलोग्राम या अधिक प्रत्येक	कं लिए उसके भाग किलोग्राम या अधिक प्रत्येक	कं लिए उसके भाग किलोग्राम या अधिक प्रत्येक	कं लिए उसके भाग किलोग्राम या अधिक प्रत्येक	कं लिए उसके भाग किलोग्राम या अधिक प्रत्येक	कं लिए उसके भाग किलोग्राम या अधिक प्रत्येक	कं लिए उसके भाग किलोग्राम या अधिक प्रत्येक	कं लिए उसके भाग किलोग्राम या अधिक प्रत्येक	कं लिए उसके भाग किलोग्राम या अधिक प्रत्येक	शून्य
	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	शून्य
	किलोग्राम या अधिक प्रत्येक	किलोग्राम या अधिक प्रत्येक	किलोग्राम या अधिक प्रत्येक	किलोग्राम या अधिक प्रत्येक	किलोग्राम या अधिक प्रत्येक	किलोग्राम या अधिक प्रत्येक	किलोग्राम या अधिक प्रत्येक	किलोग्राम या अधिक प्रत्येक	किलोग्राम या अधिक प्रत्येक	किलोग्राम या अधिक प्रत्येक	किलोग्राम या अधिक प्रत्येक	शून्य
	कं लिए उसके भाग किलोग्राम या अधिक प्रत्येक	कं लिए उसके भाग किलोग्राम या अधिक प्रत्येक	कं लिए उसके भाग किलोग्राम या अधिक प्रत्येक	कं लिए उसके भाग किलोग्राम या अधिक प्रत्येक	कं लिए उसके भाग किलोग्राम या अधिक प्रत्येक	कं लिए उसके भाग किलोग्राम या अधिक प्रत्येक	कं लिए उसके भाग किलोग्राम या अधिक प्रत्येक	कं लिए उसके भाग किलोग्राम या अधिक प्रत्येक	कं लिए उसके भाग किलोग्राम या अधिक प्रत्येक	कं लिए उसके भाग किलोग्राम या अधिक प्रत्येक	कं लिए उसके भाग किलोग्राम या अधिक प्रत्येक	शून्य
	1016.00	4453.00	920.00	823.00	3582.00	3146.00	726.00	629.00	532.00	436.00	339.00	शून्य
	कं लिए उसके भाग किलोग्राम या अधिक प्रत्येक	कं लिए उसके भाग किलोग्राम या अधिक प्रत्येक	कं लिए उसके भाग किलोग्राम या अधिक प्रत्येक	कं लिए उसके भाग किलोग्राम या अधिक प्रत्येक	कं लिए उसके भाग किलोग्राम या अधिक प्रत्येक	कं लिए उसके भाग किलोग्राम या अधिक प्रत्येक	कं लिए उसके भाग किलोग्राम या अधिक प्रत्येक	कं लिए उसके भाग किलोग्राम या अधिक प्रत्येक	कं लिए उसके भाग किलोग्राम या अधिक प्रत्येक	कं लिए उसके भाग किलोग्राम या अधिक प्रत्येक	कं लिए उसके भाग किलोग्राम या अधिक प्रत्येक	शून्य
	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	शून्य
	किलोग्राम या अधिक प्रत्येक	किलोग्राम या अधिक प्रत्येक	किलोग्राम या अधिक प्रत्येक	किलोग्राम या अधिक प्रत्येक	किलोग्राम या अधिक प्रत्येक	किलोग्राम या अधिक प्रत्येक	किलोग्राम या अधिक प्रत्येक	किलोग्राम या अधिक प्रत्येक	किलोग्राम या अधिक प्रत्येक	किलोग्राम या अधिक प्रत्येक	किलोग्राम या अधिक प्रत्येक	शून्य
	कं लिए उसके भाग किलोग्राम या अधिक प्रत्येक	कं लिए उसके भाग किलोग्राम या अधिक प्रत्येक	कं लिए उसके भाग किलोग्राम या अधिक प्रत्येक	कं लिए उसके भाग किलोग्राम या अधिक प्रत्येक	कं लिए उसके भाग किलोग्राम या अधिक प्रत्येक	कं लिए उसके भाग किलोग्राम या अधिक प्रत्येक	कं लिए उसके भाग किलोग्राम या अधिक प्रत्येक	कं लिए उसके भाग किलोग्राम या अधिक प्रत्येक	कं लिए उसके भाग किलोग्राम या अधिक प्रत्येक	कं लिए उसके भाग किलोग्राम या अधिक प्रत्येक	कं लिए उसके भाग किलोग्राम या अधिक प्रत्येक	शून्य
	1016.00	4453.00	920.00	823.00	3582.00	3146.00	726.00	629.00	532.00	436.00	339.00	शून्य
	कं लिए उसके भाग किलोग्राम या अधिक प्रत्येक	कं लिए उसके भाग किलोग्राम या अधिक प्रत्येक	कं लिए उसके भाग किलोग्राम या अधिक प्रत्येक	कं लिए उसके भाग किलोग्राम या अधिक प्रत्येक	कं लिए उसके भाग किलोग्राम या अधिक प्रत्येक	कं लिए उसके भाग किलोग्राम या अधिक प्रत्येक	कं लिए उसके भाग किलोग्राम या अधिक प्रत्येक	कं लिए उसके भाग किलोग्राम या अधिक प्रत्येक	कं लिए उसके भाग किलोग्राम या अधिक प्रत्येक	कं लिए उसके भाग किलोग्राम या अधिक प्रत्येक	कं लिए उसके भाग किलोग्राम या अधिक प्रत्येक	शून्य
	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	शून्य
	किलोग्राम या अधिक प्रत्येक	किलोग्राम या अधिक प्रत्येक	किलोग्राम या अधिक प्रत्येक	किलोग्राम या अधिक प्रत्येक	किलोग्राम या अधिक प्रत्येक	किलोग्राम या अधिक प्रत्येक	किलोग्राम या अधिक प्रत्येक	किलोग्राम या अधिक प्रत्येक	किलोग्राम या अधिक प्रत्येक	किलोग्राम या अधिक प्रत्येक	किलोग्राम या अधिक प्रत्येक	शून्य
	कं लिए उसके भाग किलोग्राम या अधिक प्रत्येक	कं लिए उसके भाग किलोग्राम या अधिक प्रत्येक	कं लिए उसके भाग किलोग्राम या अधिक प्रत्येक	कं लिए उसके भाग किलोग्राम या अधिक प्रत्येक	कं लिए उसके भाग किलोग्राम या अधिक प्रत्येक	कं लिए उसके भाग किलोग्राम या अधिक प्रत्येक	कं लिए उसके भाग किलोग्राम या अधिक प्रत्येक	कं लिए उसके भाग किलोग्राम या अधिक प्रत्येक	कं लिए उसके भाग किलोग्राम या अधिक प्रत्येक	कं लिए उसके भाग किलोग्राम या अधिक प्रत्येक	कं लिए उसके भाग किलोग्राम या अधिक प्रत्येक	शून्य
	1016.00	4453.00	920.00	823.00	3582.00	3146.00	726.00	629.00	532.00	436.00	339.00	शून्य
	कं लिए उसके भाग किलोग्राम या अधिक प्रत्येक	कं लिए उसके भाग किलोग्राम या अधिक प्रत्येक	कं लिए उसके भाग किलोग्राम या अधिक प्रत्येक	कं लिए उसके भाग किलोग्राम या अधिक प्रत्येक	कं लिए उसके भाग किलोग्राम या अधिक प्रत्येक	कं लिए उसके भाग किलोग्राम या अधिक प्रत्येक	कं लिए उसके भाग किलोग्राम या अधिक प्रत्येक	कं लिए उसके भाग किलोग्राम या अधिक प्रत्येक	कं लिए उसके भाग किलोग्राम या अधिक प्रत्येक	कं लिए उसके भाग किलोग्राम या अधिक प्रत्येक	कं लिए उसके भाग किलोग्राम या अधिक प्रत्येक	शून्य
	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	शून्य
	किलोग्राम या अधिक प्रत्येक	किलोग्राम या अधिक प्रत्येक	किलोग्राम या अधिक प्रत्येक	किलोग्राम या अधिक प्रत्येक	किलोग्राम या अधिक प्रत्येक	किलोग्राम या अधिक प्रत्येक	किलोग्राम या अधिक प्रत्येक	किलोग्राम या अधिक प्रत्येक	किलोग्राम या अधिक प्रत्येक	किलोग्राम या अधिक प्रत्येक	किलोग्राम या अधिक प्रत्येक	शून्य
	कं लिए उसके भाग किलोग्राम या अधिक प्रत्येक	कं लिए उसके भाग किलोग्राम या अधिक प्रत्येक	कं लिए उसके भाग किलोग्राम या अधिक प्रत्येक	कं लिए उसके भाग किलोग्राम या अधिक प्रत्येक	कं लिए उसके भाग किलोग्राम या अधिक प्रत्येक	कं लिए उसके भाग किलोग्राम या अधिक प्रत्येक	कं लिए उसके भाग किलोग्राम या अधिक प्रत्येक	कं लिए उसके भाग किलोग्राम या अधिक प्रत्येक	कं लिए उसके भाग किलोग्राम या अधिक प्रत्येक	कं लिए उसके भाग किलोग्राम या अधिक प्रत्येक	कं लिए उसके भाग किलोग्राम या अधिक प्रत्येक	शून्य
	1016.00	4453.00	920.00	823.00	3582.00	3146.00	726.00	629.00	532.00	436.00	339.00	शून्य
	कं लिए उसके भाग किलोग्राम या अधिक प्रत्येक	कं लिए उसके भाग किलोग्राम या अधिक प्रत्येक	कं लिए उसके भाग किलोग्राम या अधिक प्रत्येक	कं लिए उसके भाग किलोग्राम या अधिक प्रत्येक	कं लिए उसके भाग किलोग्राम या अधिक प्रत्येक	कं लिए उसके भाग किलोग्राम या अधिक प्रत्येक	कं लिए उसके भाग किलोग्राम या अधिक प्रत्येक	कं लिए उसके भाग किलोग्राम या अधिक प्रत्येक	कं लिए उसके भाग किलोग्राम या अधिक प्रत्येक	कं लिए उसके भाग किलोग्राम या अधिक प्रत्येक	कं लिए उसके भाग किलोग्राम या अधिक प्रत्येक	शून्य
	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	शून्य
	किलोग्राम या अधिक प्रत्येक	किलोग्राम या अधिक प्रत्येक	किलोग्राम या अधिक प्रत्येक	किलोग्राम या अधिक प्रत्येक	किलोग्राम या अधिक प्रत्येक	किलोग्राम या अधिक प्रत्येक	किलोग्राम या अधिक प्रत्येक	किलोग्राम या अधिक प्रत्येक	किलोग्राम या अधिक प्रत्येक	किलोग्राम या अधिक प्रत्येक	किलोग्राम या अधिक प्रत्येक	शून्य
	कं लिए उसके भाग किलोग्राम या अधिक प्रत्येक	कं लिए उसके भाग किलोग्राम या अधिक प्रत्येक	कं लिए उसके भाग किलोग्राम या अधिक प्रत्येक	कं लिए उसके भाग किलोग्राम या अधिक प्रत्येक	कं लिए उसके भाग किलोग्राम या अधिक प्रत्येक	कं लिए उसके भाग किलोग्राम या अधिक प्रत्येक	कं लिए उसके भाग किलोग्राम या अधिक प्रत्येक	कं लिए उसके भाग किलोग्राम या अधिक प्रत्येक	कं लिए उसके भाग किलोग्राम या अधिक प्रत्येक	कं लिए उसके भाग किलोग्राम या अधिक प्रत्येक	कं लिए उसके भाग किलोग्राम या अधिक प्रत्येक	शून्य
	1016.00	4453.00	920.00	823.00	3582.00	3146.00	726.00	629.00	532.00	436.00	339.00	शून्य
	कं लिए उसके भाग किलोग्राम या अधिक प्रत्येक	कं लिए उसके भाग किलोग्राम या अधिक प्रत्येक	कं लिए उसके भाग किलोग्राम या अधिक प्रत्येक	कं लिए उसके भाग किलोग्राम या अधिक प्रत्येक	कं लिए उसके भाग किलोग्राम या अधिक प्रत्येक	कं लिए उसके भाग किलोग्राम या अधिक प्रत्येक	कं लिए उसके भाग किलोग्राम या अधिक प्रत्येक	कं लिए उसके भाग किलोग्राम या अधिक प्रत्येक	कं लिए उसके भाग किलोग्राम या अधिक प्रत्येक	कं लिए उसके भाग किलोग्राम या अधिक प्रत्येक	कं लिए उसके भाग किलोग्राम या अधिक प्रत्येक	शून्य
	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	शून्य
	किलोग्राम या अधिक प्रत्येक	किलोग्राम या अधिक प्रत्येक	किलोग्राम या अधिक प्रत्येक	किलोग्राम या अधिक प्रत्येक	किलोग्राम या अधिक प्रत्येक	किलोग्राम या अधिक प्रत्येक	किलोग्राम या अधिक प्रत्येक	किलोग्राम या अधिक प्रत्येक	किलोग्राम या अधिक प्रत्येक	किलोग्राम या अधिक प्रत्येक	किलोग्राम या अधिक प्रत्येक	शून्य
	कं लिए उसके भाग किलोग्राम या अधिक प्रत्येक	कं लिए उसके भाग किलोग्राम या अधिक प्रत्येक	कं लिए उसके भाग किलोग्राम या अधिक प्रत्येक	कं लिए उसके भाग किलोग्राम या अधिक प्रत्येक	कं लिए उसके भाग किलोग्र							

परन्तु यह कि वापसी की दरें उन समस्त यानों के सम्बन्ध में जिनके सम्बन्ध में प्रथम अनुसूची के भाग "ख" के परन्तुक के अधीन दोगुनी दर पर कर का भुगतान कर दिया गया हो, उपर्युक्त धनराशियों की दोगुनी होनी।

तृतीय अनुसूची

(धारा 5 देखिये)

माल वाहनों पर अतिरिक्त कर की दरें

(क) पर्वतीय मार्गों और मैदानी मार्गों पर संचालित माल वाहनों पर अतिरिक्त कर की दरें

प्रस्तर	संचालन क्षेत्र	प्रति तिमाही अतिरिक्त कर की दर
एक	पर्वतीय मार्ग	यान के प्रति मीट्रिक टन (सकल यान भार) या उसके भाग के लिये रुपये 210.00
दो	उत्तरांचल राज्य के मैदानी मार्ग	यान के प्रति मीट्रिक टन (सकल यान भार) या उसके भाग के लिए रुपये— 85.00

परन्तु यह कि कृषि उपज, खनिज पदार्थ और पेट्रोलियम माल का अनन्य रूप से परिवहन करने वाले माल वाहनों के संबंध में देय अतिरिक्त कर की दर प्रस्तर एक और दो के सामने विनिर्दिष्ट दर की आधी होगी।

स्पष्टीकरण:-

- (1) जहां कोई मोटर यान इस अनुसूची के एक से अधिक प्रस्तर के अधीन कर योग्य हो, वहां अतिरिक्त कर सबसे ऊँची समुचित दर पर देय होगा।
- (2) पद "पर्वतीय मार्ग" का तात्पर्य उन समस्त सड़कों से है जो पिथौरागढ़, अल्मोड़ा, चमोली, उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चम्पावत, बागेश्वर, टिहरी, गढ़वाल जिलों और देहरादून जिले की तहसील चकराता के भीतर पड़ते हैं, और नैनीताल, रुधमसिंह नगर और पौड़ी गढ़वाल जिले के वे भाग जो तराई (बेस ऑफ दी फुट हिल्स) के उत्तर में हैं और पूर्व में टनकपुर से सीधे काठगोदाम, रामनगर, कोटद्वार होते हुये पश्चिम में लक्ष्मण झूला तक हैं और देहरादून नगर की नगरपालिका सीमा के बाहर की सभी सड़कें भी हैं जो मसूरी की ओर जाती हैं।

(ख) उत्तरांचल राज्य से भिन्न किसी अन्य राज्य द्वारा या किसी संघ राज्य क्षेत्र द्वारा मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 88 की उपधारा (12) के अधीन प्रदान किये गये राष्ट्रीय परमिट के अधीन संचालित माल वाहनों पर प्रत्येक वर्ष या उसके किसी भाग के लिये अतिरिक्त कर 5000.00 रुपये होगा।

चतुर्थ अनुसूची

(धारा 6 देखिये)

मंजिली गाड़ी पर अतिरिक्त कर की दरें

प्रस्तर— एक

(क) प्रत्येक सीट पर अतिरिक्त कर की दरें:-

क्रम संख्या	एक तिमाही में तय की गयी दूरी (कि०मी० में)	तिमाही अतिरिक्त कर की धनराशि (समस्त प्रकार के वर्गीकृत मार्गों की श्रेणी के लिए)
1.	4500 कि०मी० तक	मैदानी मार्गों पर संचालन हेतु रुपये-154.00 प्रति सीट पर्वतीय मार्गों पर संचालन हेतु रुपये-146.00 प्रति सीट
2.	4500 कि०मी० से अधिक प्रत्येक अतिरिक्त कि०मी० पर	रुपये-0.04 प्रति सीट प्रति कि०मी० जो उपरोक्त (1) में जोड़ा जाएगा

परन्तु यह कि नगर निगम या नगर पालिका की सीमा के भीतर संचालित मंजिली गाड़ी पर अतिरिक्त कर 4620.00 रुपये प्रति तिमाही ऐसी मंजिली गाड़ी के सम्बन्ध में जिसमें 35 सीट से अधिक सीट नहीं हैं और 6600.00 रुपये प्रति तिमाही ऐसी मंजिली गाड़ी के सम्बन्ध में जिसमें 35 से अधिक सीट हैं, होगा।

(ख) विशेष अवसरों पर जैसे मेला और धार्मिक सभाओं में यात्रियों को वहां ले जाने और वहां से लाने और बारात, पर्यटक पार्टियां या ऐसी अन्य आरक्षित पार्टियों की सवारी के लिये, जारी किये गये अस्थाई परमिट के अन्तर्गत आने वाली मंजिली गाड़ी पर अतिरिक्त कर की दर—

- एक— ऐसे यानों के लिये जिनमें ड्राइवर और कण्डक्टर को छोड़कर 42 व्यक्तियों से अधिक के बैठने का स्थान न हो उतने दिनों के लिये जितने दिन के लिए अस्थाई परमिट जारी किए गए, प्रस्तर एक के खण्ड (क) के अधीन देय कर के अतिरिक्त रुपये— 200.00 प्रतिदिन
- दो— ऐसे यानों के लिये जिनमें ड्राइवर और कण्डक्टर को छोड़कर 42 व्यक्तियों से अधिक के बैठने का स्थान हो । उतने दिनों के लिये जितने दिन के लिए अस्थाई परमिट जारी किए गए, प्रस्तर—एक के खण्ड (क) के अधीन देय कर के अतिरिक्त रुपये— 225.00 प्रतिदिन

परन्तु यह कि एक्सप्रेस, सेमी डीलक्स, डीलक्स और वातानुकूलित मंजिली गाड़ी पर अतिरिक्त कर की दरें निम्नलिखित होंगी :-

- (एक) एक्सप्रेस प्रस्तर—एक के, यथास्थिति, खण्ड (क) या खण्ड (ख) के अधीन देय करों से पांच प्रतिशत अधिक।
- (दो) सेमी डीलक्स प्रस्तर—एक के, यथास्थिति, खण्ड (क) या खण्ड (ख) के अधीन देय करों से आठ प्रतिशत अधिक।
- (तीन) डीलक्स प्रस्तर—एक के, यथास्थिति, खण्ड (क) या खण्ड (ख) के अधीन देय करों से बीस प्रतिशत अधिक।
- (चार) वातानुकूलित प्रस्तर—एक के, यथास्थिति, खण्ड (क) या खण्ड (ख) के अधीन देय करों से पचास प्रतिशत अधिक।

परन्तु यह और कि खण्ड (ख) के अन्तर्गत अतिरिक्त कर की गणना के लिये उतने दिनों की गणना नहीं की जाएगी जितने दिनों तक अस्थाई परमिट के अन्तर्गत आने वाली मंजिली गाड़ियां उत्तरांचल के बाहर संचालित की गयी हों।

प्रस्तर—दो

(क) उत्तरांचल प्रदेश के भीतर अधिकारिता रखने वाले प्राधिकरणों द्वारा मोटरयान अधिनियम-1988 की धारा 74, 87 व 88 की उपधारा 9 के अधीन जारी सभी प्रकार के टेका परमिटों के अन्तर्गत जिनके पास किसी मार्ग के अस्थाई/स्थाई मंजिली वाहन का परमिट न हो।

उपखण्ड	वाहन का प्रकार	अतिरिक्त कर की दरें (प्रति सीट प्रति माह)
एक	चालक को छोड़कर 3 व्यक्तियों से अनधिक व्यक्तियों के बैठने वाली मोटर टैक्सी	रुपये— 30.00
एक-क	चालक को छोड़कर 3 व्यक्तियों से अधिक किन्तु 6 व्यक्तियों से अनधिक व्यक्तियों के बैठने वाली तिपट्टिया मोटर टैक्सी	रुपये— 30.00
एक-ख	उपखण्ड—एक और एक-क में विनिर्दिष्ट से भिन्न मोटर टैक्सी	रुपये— 85.00
दो	बड़ी टैक्सी	रुपये— 125.00
तीन	चालक और कण्डक्टर को छोड़कर 12 व्यक्तियों से अधिक किन्तु 20 व्यक्तियों से अनधिक व्यक्तियों के बैठने वाली गाड़ियों के लिये	रुपये— 160.00
चार	चालक और कण्डक्टर को छोड़कर 20 व्यक्तियों से अधिक किन्तु 41 व्यक्तियों से अनधिक व्यक्तियों के बैठने वाली गाड़ियों के लिये	रुपये— 160.00

उपखण्ड वाहन का प्रकार

अतिरिक्त कर की दरें
(प्रति सीट प्रति माह)

पांच	चालक और कण्डक्टर को छोड़कर 42 व्यक्तियों या उससे अधिक के बैठने वाले यानों के लिए	रुपये- 160.00
छः	सेमी डीलक्स बस के लिये	रुपये- 200.00
सात	डीलक्स बस के लिये	रुपये- 225.00
आठ	वातानुकूलित बस के लिये	रुपये- 255.00

(ख) उत्तरांचल की अधिकारिता रखने वाले प्राधिकरणों से भिन्न अन्य प्राधिकरणों द्वारा मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 88 की उपधारा (9) के अधीन जारी किये गये परमिट के अन्तर्गत ठेका गाड़ी के संबंध में :-

तिमाही अतिरिक्त कर की दरें
(रुपये में)

(एक)	मोटर कैब (टैक्सी)	900.00
(दो)	मैक्सी कैब	5100.00
(तीन)	ओमनी बस	15000.00

(42 सीट तक डीलक्स, वातानुकूलित को सम्मिलित करते हुये)

स्पष्टीकरण-(1) इस अनुसूची के अधीन किसी मंजिली गाड़ी पर देय कुल तिमाही कर उपर्युक्त प्रस्तर (एक), में दिये गये दरों की उतनी गुनी होगी जितनी मोटरयान अधिनियम, 1988 के सुसंगत उपबंधों के अधीन रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी द्वारा अनुज्ञात सीटों की अधिकतम संख्या है। इस प्रयोजन के लिये किसी मंजिली गाड़ी के खड़े रहने की स्वीकृत क्षमता यदि कोई हो, के पचास प्रतिशत स्थान को अतिरिक्त बैठने की क्षमता माना जायेगा और किसी सीट के भाग की गणना एक सीट के रूप में की जायेगी।

(2) इस अनुसूची के प्रस्तर (एक) के उपप्रस्तर (क) के अधीन किसी मंजिली गाड़ी की एक तिमाही में तय की गई दूरी उतनी होगी जितनी एक तरफ के फेरों की ऐसी संख्या को जैसी परमिट की शर्तों के अधीन अनुज्ञा दी जाय ऐसे एक फेरे में अन्तर्गस्त कुल किलोमीटर से गुणा करने पर प्राप्त हो।

(3) ऐसे समय तक जब तक कि यथास्थिति राज्य परिवहन प्राधिकारी या सम्भागीय परिवहन प्राधिकारी द्वारा सारणी समय मापनों और फेरों का निर्धारण नहीं कर दिया जाता है, कोई संचालक इस अधिनियम के प्रवर्तन के पूर्व यान द्वारा संचालित फेरों के आधार पर प्राप्त तिमाही तय की गई दूरी पर अतिरिक्त कर का भुगतान करेगा।

(4) एक्सप्रेस मंजिली गाड़ी का तात्पर्य ऐसी मंजिली गाड़ी से है जो-

(क) ऐसे मार्ग पर संचालित हो उसकी लम्बाई 200 किलोमीटर से कम न हो और जो केवल जिला और तहसील मुख्यालय पर रुकती हो।

(ख) निम्नलिखित विनिर्दिष्टियों के अनुरूप हो-

(एक) प्रत्येक यात्री सीट-

(1) प्रत्येक सीट के सामने की ओर रेखा के साथ-साथ और समकोण बनाती हुई कम से कम 40 x 38.5 सेंटीमीटर माप की होनी चाहिए;

(2) कुशन 9 सेंटीमीटर मोटी होनी चाहिए;

(3) 2.5 सेंटीमीटर मोटे कुशन की 56 सेंटीमीटर ऊंची बैक रैस्ट वाली जिसमें 40/15.24 x 23 सेंटीमीटर सिरहाना होना चाहिए और जिस पर टेरीकोट रैक्सीन के कवर हों।

(दो) बैठने की व्यवस्था—सीटों का अभिन्यास इस प्रकार होना चाहिए कि एक ओर तीन सीटें तथा दूसरी ओर दो सीटें इस प्रकार लगी हों कि सभी सीटों का मुख सामने की ओर हो तथा दो सीटों के पार्श्व के मध्य कम से कम 66.2 सेंटीमीटर दूरी के साथ-साथ पैर रखने के लिए 28 सेंटीमीटर स्थान की व्यवस्था हो।

(तीन) खिड़कियां—केन्द्रीय मोटरयान नियमावली, 1989 के नियम 100 में दी गई विनिर्दिष्टियों के अनुरूप 113 सेंटीमीटर चौड़ी जिसमें सुरक्षा शीशे लगे हुए हों।

(चार) ड्राइवर केबिन—ड्राइवर का केबिन आधा विभाजित होना चाहिए।

(पांच) श्रवण प्रणाली और आंतरिक प्रतिदीप्तिशील ट्यूब प्रकाश की सुविधायें होनी चाहिए।

(5) "सेमी डीलक्स मंजिली गाड़ी" का तात्पर्य ऐसी मंजिली गाड़ी से है जो निम्नलिखित विशिष्टियों के अनुरूप हो—

(एक) प्रत्येक यात्री सीट—

(1) प्रत्येक सीट के सामने की ओर रेखा के साथ-साथ और समकोण बनाती हुई कम से कम 40 x 40 सेंटीमीटर माप की होनी चाहिए;

(2) कुशन 9 सेंटीमीटर मोटी होनी चाहिए;

(3) 5 सेंटीमीटर मोटे फोम के कुशन की रैक्सीन कवर के साथ 61 सेंटीमीटर ऊंची बैक रैस्ट वाली जिसमें $40/17.78 \times 26.67$ सेंटीमीटर सिरहाना होना चाहिए।

(दो) बैठने की व्यवस्था—सीटों का अभिन्यास इस प्रकार होना चाहिए कि एक ओर तीन सीटें तथा दूसरी ओर दो सीटें इस प्रकार लगी हों कि सभी सीटों का मुख सामने की ओर हो तथा दो सीटों के पार्श्व के मध्य कम से कम 71.2 सेंटीमीटर दूरी के साथ-साथ पैर रखने के लिए 30 सेंटीमीटर स्थान की व्यवस्था हो।

(तीन) खिड़कियां—केन्द्रीय मोटर नियमावली, 1989 के नियम 100 में दी गई विनिर्दिष्टियों के अनुरूप 142.5 सेंटीमीटर चौड़ी जिसमें सुरक्षा शीशे लगे हुए हों।

(चार) ड्राइवर केबिन—ड्राइवर का केबिन आधा विभाजित होना चाहिए, और

(पांच) श्रवण प्रणाली और आंतरिक प्रतिदीप्तिशील ट्यूब प्रकाश की सुविधायें होनी चाहिए।

(6) "डीलक्स मंजिली गाड़ी" या "डीलक्स बस" का तात्पर्य ऐसी मंजिली गाड़ी से है जो निम्नलिखित विनिर्दिष्टियों के अनुरूप हो—

(एक) प्रत्येक यात्री सीट—

(1) प्रत्येक सीट के सामने की ओर रेखा के साथ-साथ और समकोण बनाती हुई कम से कम 45.8 x 45.8 सेंटीमीटर माप की होनी चाहिए;

(2) की कुशन 10 सेंटीमीटर मोटी होनी चाहिए;

(3) 5 सेंटीमीटर मोटे की कुशन फोम रैक्सीन या टैपेस्ट्री कवर के साथ 71.2 सेंटीमीटर ऊंची बैक रैस्ट वाली जिसमें $40/17.78 \times 26.67$ सेंटीमीटर सिरहाना होना चाहिए।

(दो) बैठने की व्यवस्था—सीटों का अभिन्यास इस प्रकार होना चाहिए कि एक ओर तीन सीटें तथा दूसरी ओर दो सीटें इस प्रकार लगी हों कि सभी सीटों का मुख सामने की ओर हो तथा दो सीटों के पार्श्व के मध्य कम से कम 71.2 सेंटीमीटर दूरी के साथ-साथ पैर रखने के लिए 38 सेंटीमीटर स्थान की व्यवस्था हो।

(तीन) खिड़कियां—भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा दिये गये मानकों के अनुसार 142.5 सेंटीमीटर चौड़ी जिसमें फिल्मयुक्त सुरक्षा शीशे लगे हों।

(चार) ड्राइवर केबिन—ड्राइवर का केबिन पूरी तरह विभाजित होना चाहिए, और

(पांच) वीडियो प्रणाली और आंतरिक प्रतिदीप्तिशील ट्यूब प्रकाश की सुविधायें होनी चाहिए।

(7) इस अनुसूची के प्रयोजनों के लिए ड्राइवर और कण्डक्टर की सीट को सीट में सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

(8) जहां कोई मोटरयान इस अनुसूची के एक से अधिक प्रस्तरों के अधीन कर योग्य हो वहां देय अतिरिक्त कर सबसे ऊंची समुचित दर पर होगा।

(9) पर्वतीय क्षेत्र का तात्पर्य निम्नलिखित से है और इसके अन्तर्गत निम्नलिखित भी होंगे -

- (क) पिथौरागढ़, अल्मोड़ा, उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चम्पावत, बागेश्वर, चमोली और टिहरी गढ़वाल के जिले;
 - (ख) जिला देहरादून की तहसील चकराता;
 - (ग) नैनीताल, ऊधमसिंह नगर और पौड़ी गढ़वाल जिले के वे भाग जो तराई (बेस ऑफ द फुट हिल्स) के उत्तर में हैं और पूर्व में टनकपुर से सीधे क्राठगोदाम, रामनगर, कोटद्वार होते हुए पश्चिम में लक्ष्मणझूला तक है; और
 - (घ) देहरादून की नगरपालिका सीमा के बाहर मसूरी की ओर पड़ने वाला क्षेत्र।
- (10) (अ) इस अनुसूची में "नगर निगम" और "नगर पालिका" का क्रमशः वही तात्पर्य होगा जो पूर्ववर्ती उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959 (यथा उत्तरांचल में लागू) और उत्तर प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1916 (यथा उत्तरांचल में लागू) में उनके लिये दिया गया है।
- (ब) जो यात्री वाहन राज्य सीमा के भीतर औद्योगिक संस्थान/शिक्षण संस्थान के अन्तर्गत, अनुबंध के आधार पर संचालित होंगी वे 35 सीट तक 4620/- रुपये प्रति त्रैमास तथा उससे अधिक सीट की वाहन पर 6600/- रुपये प्रति त्रैमास अतिरिक्त कर देय होगा। (सीटों की संख्या चालक सहित) यह वाहन संस्थान के स्टाफ व शिक्षा हेतु स्कूली बच्चों को लाने ले जाने हेतु यथा परमिट सीमा के भीतर प्रयुक्त हो सकेंगी।

पांचवीं अनुसूची

(धारा 6 देखिये)

धारा 6 के अधीन राज्य सड़क परिवहन उपक्रम द्वारा देय अतिरिक्त कर का फार्मूला-

$$\frac{छ \times 21}{121}$$

इस अनुसूची में "छ" का तात्पर्य किसी कलेण्डर मास के दौरान राज्य सड़क परिवहन उपक्रम द्वारा उत्तरांचल राज्य की सीमा के अन्तर्गत यात्री यातायात पर उपक्रम की सकल प्राप्तियों से है।

छठी अनुसूची

(धारा 10 देखिये)

उत्तरांचल से भिन्न प्राधिकरणों द्वारा जारी किये गये माल वाहन एवं ठेका यान के अस्थाई परमितों की वाहनों पर धारा-10 के अधीन देय अतिरिक्त कर की दरें-

एक-माल वाहन

अस्थाई परमित के अधीन उत्तरांचल में माल वाहन के संचालन के दिनों की संख्या के लिए -

1- हल्का माल वाहन	प्रतिदिन 50.00 रुपये
2- मध्यम माल वाहन	प्रतिदिन 75.00 रुपये
3- भारी माल वाहन	प्रतिदिन 100.00 रुपये

दो-लोक सेवा यान (ठेका वाहनों केवल)

ऐसे प्रत्येक वाहन के चालक सीट को छोड़कर प्रत्येक सीट प्रतिदिन परमित अनुसार संचालन के लिये अतिरिक्त कर की दर-

(1) साधारण /सेमीडीलक्स श्रेणी की ठेका वाहनों	रुपये- 30.00 प्रति सीट प्रतिदिन
(2) डीलक्स बस	रुपये- 40.00 प्रति सीट प्रतिदिन
(3) वातानुकूलित वाहन	रुपये- 45.00 प्रति सीट प्रतिदिन

स्पष्टीकरण : इस अनुसूची के प्रयोजनों के लिये "डीलक्स बस" का वही तात्पर्य होगा जो चौथी अनुसूची के स्पष्टीकरण 6 में इसके लिये दिया गया है।

भुगतान किये गये अतिरिक्त कर की अधिक धनराशि का समायोजन-

- (क) किसी यान के सम्बन्ध में, मूल अधिनियम के अधीन भुगतान किये गये अतिरिक्त कर की धनराशि जो इस अधिनियम द्वारा यथासंशोधित मूल अधिनियम की चतुर्थ अनुसूची में विनिर्दिष्ट दर पर देय अतिरिक्त कर से अधिक होगी, वह यथास्थिति, अगली तिमाही या माह के लिए उस यान के सम्बन्ध में देय अतिरिक्त कर के प्रति समायोज्य होगी।
- (ख) कर व अतिरिक्त कर का लेखा शीर्षक समान है, अतः समान वाहन स्वामी के आवेदन पर एक ही वाहन के कर व अतिरिक्त कर का यथा आवश्यकतानुसार समायोजन किया जा सकता है।

आज्ञा से,
भरोसी लाल,
सचिव।